

परिशिष्ट - 1.1.
भाग क सरकारी लेखे की संरचना और रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका- 1.1; पृष्ठ -1)

सरकारी लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग - I समेकित निधि- भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(i) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों के निर्गमन द्वारा सृजित सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान से प्राप्त सभी राशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी जिसे “राज्य की समेकित निधि” कहा जाता है।

भाग - II आकस्मिकता निधि- संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि, राज्य विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित अत्यावश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गये अग्रदाय के रूप में होती है। ऐसे व्यय तथा समेकित निधि में हस्तांतरण हेतु राज्य विधान मंडल से परवर्ती अनुमोदन प्राप्त होता है, तत्पश्चात आकस्मिकता निधि अग्रिमों की वापसी निधि में होती है।

भाग - III लोक लेखा- कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

परिशिष्ट
खण्ड - ख : वित्त लेखे की रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ -1)
वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
विवरण सं. 1	राज्य सरकार के लेन-देन राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत, लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा संवितरण आदि का सार प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 2	में 2006-2007 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संशोधित विवरणी सम्मिलित है।
विवरण सं. 3	सिचाई कार्यों, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यरत व्यय तथा अनुरक्षण प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ एवं हानि इत्यादि के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 4	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है जिसमें आंतरिक ऋण से उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, अन्य दायित्व एवं ऋण की सेवाएँ सम्मिलित हैं।
विवरण सं. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, किया गया पुनर्भुगतान, वकाये की वसूलियाँ आदि का संक्षेप प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 6	संविधिक निगमों, स्थानीय निकायो तथा अन्य संस्थाओं* द्वारा सृजित किये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा की गयी प्रत्याभूतियों का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 7	रोकड़ अधिशेषों एवं ऐसे अधिशेषों पर किये गये निवेशों के सारांश को दिखाती है।
विवरण सं. 8	31 मार्च 2007 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अधिशेषों के सारांश प्रदर्शित करती है।
विवरण सं. 9	वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय से कुल राजस्व/व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।
विवरण सं. 10	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमय व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरण सं. 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 12	लघु शीर्षों के द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरण सं. 13	वर्ष 2006-07 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरण सं. 14	वर्ष 2006-07 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरण सं. 15	वर्ष 2006-07 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा उस व्यय के लिए प्रदान किये गये मुख्य स्त्रोतों को प्रदर्शित करती है।
विवरण सं. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 17	झारखण्ड सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2007 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

* बिहार एवं झारखण्ड के बीच परिसंभ्रणियों एवं दायित्वों के अभाव में तैयार नहीं किया गया।

खण्ड- ग : अध्याय I मे प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची एवं उनकी गणना के आधार
(संदर्भ कंडिका: 1.2; पृष्ठ -3)

प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/प्राचल की वृद्धि दर (y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/ गत वर्ष की राशि}) - 1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
भारित ब्याज दर (Iw)	$Iw = \sum^n I_i W_i$, जहाँ I ऋण का i वां स्टॉक पर ब्याज की दर है और W_i राज्य के कुल ऋण स्टॉक में i वां स्टॉक का अंश है
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्रप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ कंडिका: 1.2 और 1.6; पृष्ठ -3 एवं 21)

31 मार्च 2007 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

दायित्व				
31 मार्च 2006 को (करोड़ रुपये में)			31 मार्च 2007 को (करोड़ रुपये में)	
13017.79		आंतरिक ऋण		14422.62
	3551.22	ब्याज वाले बाजार ऋण	3807.73	
	2.00	ब्याज रहित बाजार ऋण	7.24	
	4.70	जी.बी. नि. से ऋण	4.70	
	1.60	सा.बी.नि. से ऋण	1.60	
	2413.05	अन्य संस्थाओं से ऋण	2341.96	
	8.86	अर्थोपाय अग्रिम (आर.बी.आई.)	8.86	
	7036.36	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	8250.53	
		रिजर्व बैंक के जमा में ह्रास		
2846.40		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2701.21
	111.07	1984-85 के पूर्व का ऋण	95.29	
	132.38	गैर योजना ऋण	122.30	
	2566.14	राज्य योजनागत योजना के लिए ऋण	2446.02	
	2.22	केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण	2.00	
	20.05	केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण	21.06	
	14.54	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	14.54	
150.00		आकस्मिकता निधि		118.25
490.50		लघु बचत, भविष्य निधि आदि		719.51
790.25		जमा		1201.97
331.33		रक्षित निधि		488.26
		उचंत एवं विविध शेष		
17626.27		कुल		19651.82

परिसंपत्ति				
5908.05		अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		7369.39
	14.04 #	कम्पनियों, निगम आदि के शेयर में निवेश	14.04 #	
	5894.01	अन्य पूँजीगत परिव्यय	7355.35	
5067.04		ऋण एवं अग्रिम		5462.09
	4746.47	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	5080.92	
	287.31	अन्य विकास ऋण	348.99	
	33.26	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	32.18	
5.48		अग्रिम		21.28
13.85		प्रेषण शेष		98.49
382.85		उचंत एवं विविध शेष		339.18
(-) 54.62		नगद		1003.65
		कोागारों में नगद एवं स्थानीय प्रेषण		
	110.52	विभागीय नगद शेष	56.31	
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11	
	(-)428.84	रिजर्व बैंक में जमा	(-)135.96	
	116.22	चिन्हित निधि का निवेश	116.22	
	147.37	नगद शेष निवेश	966.97	
6303.62		सरकारी लेखे में घाटा		5357.74
	26.94	वर्ष के दौरान राजस्व घाटा		
		वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य	945.88	
	6276.68	संचयी घाटा	6303.62	
17626.27		कुल		19651.82

राजस्व लेखा से निवेशित दो करोड़ रुपये एवं निगमों के लेखे में दर्शायी गयी राशि 5.75 करोड़ रुपये शामिल नहीं है लेकिन उनके स्रोत प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट - 1.3
(संदर्भ कंडिका: 1.2; पृष्ठ -3)

वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2005-2006			2006-2007	2005-2006	गैर योजना	योजना	कुल	2006-2007	
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
खण्ड-क राजस्व									
8463.88	I राजस्व प्राप्तियाँ		10009.82	8490.82	I राजस्व व्यय	6632.25	2431.69	9063.94	9063.94
2758.04	कर राजस्व	3188.50		3577.43	सामान्य सेवायें	3453.66	356.32	3809.98	3809.98
1426.53	कर भिन्न राजस्व	1250.40		3060.30	सामाजिक सेवायें	2242.21	1085.06	3327.27	3327.27
3175.89	संघीय करों में राज्य के हिस्से	4050.90		1628.08	शिक्षा, क्रीड़ा कला एवं संस्कृति	1299.42	439.14	1738.56	
111.72	गैर योजना अनुदान	259.70		472.29	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	288.59	107.20	395.79	
719.34	राज्य योजना हेतु अनुदान	760.95		166.25	जलापूर्ति स्वच्छता आवास एवं नगर विकास	218.40	58.67	277.07	
272.36	केन्द्र तथा केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	499.37		15.22	सूचना एवं प्रसारण	19.36	2.80	22.16	
				258.24	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण	156.23	77.34	233.57	
				26.64	श्रम एवं श्रम कल्याण	20.31	16.93	37.24	
				486.03	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	230.92	382.99	613.91	
				7.55	अन्य	8.97		8.97	
				1853.08	आर्थिक सेवायें	934.34	990.30	1924.64	1924.64
				446.39	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	181.57	325.81	507.38	
				461.65	नगर विकास	197.00	311.98	508.98	
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				116.89	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	162.29	0.25	162.54	
				441.42	ऊर्जा	211.35	28.10	239.45	

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2005-2006			2006-2007	2005-2006		गैर योजना	योजना	कुल	2006-2007
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
				122.75	उद्योग एवं खनिज	25.16	104.97	130.13	
				173.78	परिवहन	128.81	164.59	293.40	
				90.20	सामान्य आर्थिक सेवार्यें	28.16	54.60	82.76	
				0.01	सहायता अनुदान अंशदान	2.05	-	2.05	2.05
8463.88			10009.82	8490.82	कुल	6632.25	2431.69	9063.94	9063.94
26.94	II खण्ड "ख" में ले जाया गया राजस्व घाटा			-	II खण्ड "ख" में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				945.88
884.41	III आरंभिक रोकड़ स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		(-) 54.62	शून्य	III आर.बी.आई. से अधिक ओभर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			1839.03	IV पूँजीगत परिव्यय	0.02	1461.32	1461.34	1461.34
				76.17	सामान्य सेवार्यें		72.37	72.37	72.37
				547.13	सामाजिक सेवार्यें		494.85	494.85	494.85
				171.28	शिक्षा, क्रीड़ा कला एवं संस्कृति		196.72	196.72	
				59.25	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		53.03	53.03	
				189.50	जलापूर्ति, स्वच्छता		193.89	193.89	
				64.61	आवास एवं नगर विकास				
				62.49	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण		51.21	51.21	
				1215.73	आर्थिक सेवार्यें	0.02	894.10	894.10	894.12
				7.66	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		16.69	16.69	
				564.94	नगर विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.02	472.32	472.34	
				340.55	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		205.14	205.14	
				30.00	ऊर्जा		53.00	53.00	

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2005-2006			2006-2007	2005-2006	गैर योजना	योजना	कुल	2006-2007	
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
				4.00	उद्योग एवं खनिज		1.63	1.63	
				249.39	परिवहन	-	129.48	129.48	
				19.19	अन्य आर्थिक सेवायें		15.84	15.84	
9.81	V ऋण एवं अग्रिमों से वसूली		15.75	3746.84	V संवितरित ऋण एवं अग्रिम	291.90	118.91	410.81	410.81
	विद्युत - परियोजना से		-	3651.12	विद्युत परियोजना के लिए	274.45	60.00	334.45	
9.58	सरकारी सेवकों से	15.05		15.74	सरकारी सेवकों को	13.97	-	13.97	
0.23	अन्य से	0.70		79.98	अन्य को	3.48	58.91	62.39	
	- VI लाया गया आधिक्य राजस्व		945.88	26.94	VI लाया गया राजस्व घाटा				
3500.62	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ		1865.99	281.08	VII लोक ऋण का पूर्ण भुगतान				606.34
3494.84	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण		1849.14	129.89	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			444.30	
	- अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन				- अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन				

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2005-2006			2006-2007	2005-2006	गैर योजना	योजना	कुल	2006-2007	
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
5.78	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		16.85	151.19	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान		162.04		
-	VIII आकस्मिकता निधि विनियोग	-	-	-	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	-	IX आकस्मिकता निधि से व्यय			31.75	
3908.13	X लोक लेखा प्राप्ति		4292.80	2463.70	X लोक लेखा व्यय			3551.92	
408.77	लघु बचत एवं भविष्य निधि	453.05		196.32	लघु बचत एवं भविष्य निधि		224.04		
160.85	रक्षित निधि	156.93		104.40	रक्षित निधि		-		
89.78	उचंत एवं विविध	143.12		(-)816.16	उचंत एवं विविध		99.45		
1920.26	प्रेषण	1961.13		2009.04	प्रेषण		2045.78		
1328.47	जमा एवं अग्रिम	1578.57		970.10	जमा एवं अग्रिम		1182.65		
	XI रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			(-)54.62	XI अंत का रोकड़ शेष			1003.64	
					कोषागार एवं स्थानीय प्रेषण में रोकड़				
				(-)428.84	रिजर्व बैंक में जमा		(-)135.96		
				110.63	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष		56.41		
				116.22	चिन्हित निधि का निवेश		116.22		
				147.37	रोकड़ शेष निवेश		966.97		
8302.97	कुल		7065.80	8302.97	कुल			8302.97	

परिशिष्ट - 1.4
(संदर्भ कंडिका 1.2. पृष्ठ -3)
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

2005-2006		स्रोत	2006-2007	
(करोड़ रुपये में)				
8463.88		1. राजस्व प्राप्तियाँ		10009.82
9.81		2. ऋण एवं अग्रिम की वसूली		15.75
3219.54		3. ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋण में वृद्धि		1259.65
1444.43		4. लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ		740.88
	212.45	लघुबचतों में वृद्धि	229.01	
	358.37	जमा एवं अग्रिम में वृद्धि	395.92	
	56.45	रक्षित निधि में वृद्धि	156.93	
	905.94	उचंत एवं विविध लेन-देन का निवल प्रभाव	43.67	
	(-)88.78	प्रेषण लेन-देन का निवल प्रभाव	(-)84.65	
	-	5. आकस्मिकता निधि लेन-देन का निवल प्रभाव		(-)31.75
(+)939.03		6. अंत रोकड़ शेष में कमी		
14076.69		कुल		11994.35
अनुप्रयोग				
8490.82		1. राजस्व व्यय		9063.94
3746.84		2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों (ऋण) के लिए ज्ञान		410.81
1839.03		3. पूँजीगत व्यय		1461.34
-		4. आकस्मिकता निधि में स्थानान्तरण		
-		5. रोकड़ शेष के अंतशेष में वृद्धि		1058.26
14076.69		कुल		11994.35

विवरणी I, II एवं III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :

1. पिछली विवरणी में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखा में टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाय।
2. सरकारों लेखे में मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के नाते सरकारी लेखा पर घाटा जैसा कि विवरणी I में दिखाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ती आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतान या प्राप्त मर्दे अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ों में विधिवता इत्यादि वाली मर्दे लेखे में अंकित नहीं होती हैं।
3. प्रेषण, उचंत एवं विविध शेषों में निर्गत किंतु भुगतान न किये गये चेक, अन्य राज्यों की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लेन-देन, लम्बित निपटारा आदि।
4. बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 (2000 की सं.-30) की शर्तों के अनुसार 15 नवम्बर 2000 (यानि निर्धारित दिन) के प्रभाव से बिहार राज्य पुर्नगठित हुआ और एक नया राज्य संयुक्त राज्य बिहार के 18 जिलों से समाविष्ट झारखण्ड राज्य नाम से बना। संयुक्त राज्य बिहार के निर्धारित दिन से ठीक पूर्व परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा एवं अन्य वित्तीय समायोजन बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रत्येक मामले में होना है। ऐसा निर्धारण अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के संबंध में हुआ है।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ कड़िका: 1.2 और 1.6; पृष्ठ -21)

राज्य सरकार के वित्त पर काल बद्ध आँकड़े

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भाग-क प्राप्तियाँ	(करोड़ रुपये में)					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	4495(74)	4937(72)	5638(70)	6661(65)	8464(71)	10010(83)
i. कर राजस्व	1586(35)	1750(35)	1986(35)	2383(36)	2758(32)	3189(32)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-	-
बिक्री व्यापार आदि पर कर	1239(78)	1366(78)	1601(81)	1882(79)	2212(80)	2257(71)
राजस्व उत्पाद	100(6)	99(5)	96(5)	146(6)	162(6)	130(4)
वाहनों पर कर	86(5)	105(6)	99(5)	130(5)	138(5)	218(7)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	64(4)	83(5)	82(4)	87(4)	92(3)	122(4)
भू-राजस्व	10(1)	15(1)	17(1)	17(1)	18(1)	36(1)
अन्य कर	87(6)	83(5)	91(4)	121(5)	136(5)	426(13)
ii. कर भिन्न राजस्व	852(19)	987(20)	1106(20)	1053(16)	1427(17)	1250(12)
iii. संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	1603(36)	1703(35)	1980(35)	2366(35)	3176(38)	4051(41)
iv. भारत सरकार से सहायता अनुदान	454(10)	497(10)	566(10)	859(13)	1103(13)	1520(15)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-
3. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 132	4495	4937	5638	6661	8464	10010
4. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	2	3	4	8	10	16
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1585(26)	1889(28)	2422(30)	3570(35)	3501(29)	1866(16)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	1196	1481	1951	3057	3495	1849
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत लेन देन	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	389	408	471	513	6	17
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (3+ 4+ 5)	6082	6829	8064	10239	11975	11892
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1940	3049	3113	2927	3908	4293
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	8022	9878	11,177	13166	15883	16185
भाग-ख व्यय/संवितरण						
10. राजस्व व्यय	4800(82)	5509(83)	5406(83)	6976(79)	8491(60)	9064(83)
योजना	1262(26)	1025(19)	1091(20)	1980(28)	2139(25)	2432(27)
गैर योजना	3538(74)	4484(81)	4315(80)	4996(72)	6352(75)	6632(73)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	1840(38)	2753(50)	2609(48)	2943(42)	3578(42)	3810(42)
समाजिक सेवायें	1897(40)	1935(35)	1869(35)	2524(36)	3060(36)	3327(37)
आर्थिक सेवायें	1062(22)	821 (15)	928(17)	1509(22)	1853(22)	1925(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.69(..)	0.72(..)	0.52(..)	0.07(..)	-	2
11. पूँजीगत व्यय	733(12)	866(13)	976(15)	1333(15)	1839(13)	1461(13)
योजना	733(100)	866(100)	976(100)	1333(100)	1837(100)	1461(100)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
गैर योजना	-	-	-	-	2	-
सामान्य सेवायें	7(1)	30(3)	33(3)	20(2)	76(4)	72(5)
समाजिक सेवायें	123(17)	162(19)	126(13)	226(17)	547(30)	495(34)
आर्थिक सेवायें	603(82)	674(78)	817(84)	1087(81)	1216(66)	894(61)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	329(6)	285(4)	134(2)	577(6)	3747(27)	411(4)
13. कुल (10+11+12)	5862	6660	6516	8886	14077	10936
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	193	986	987	802	281	606
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ड्राफ्ट छोड़कर)	2(1)	127(13)	106(11)	132(16)	130(46)	444(73)
अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	191(99)	859(87)	881(89)	670(84)	151(54)	162(19)
15. आकस्मिकता निधि से कुल संवितरण	-	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	6055	7646	7503	9688	14358	11542
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	128	-	-	32
18. लोक लेखा संवितरण	2463	2434	2913	3603	2464	3552
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	8518	10080	10544	13291	16822	15126
भाग --ग घाटा						
20. राजस्व घाटा/आधिक्य(+)(1-10)	(-)305	(-)572	(+)232	(-)315	(-)27	946
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+)(3+4+13)	(-)1365	(-)1720	(-)874	(-)2217	(-)5603	(-)910
22. प्राथमिक घाटा/आधिक्य (+) (21-23)	(-)797	(-)301	(+)308	(-)1076	(-)4183	703
भाग घ - अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में संनिहित)	568	1419	1182	1141	1420	1613
24. राजस्व के बकाये (कर एवं कर भिन्न राजस्व की प्रतिशतता)	1762(72)	2944(107)	1627(53)	1741(51)	1672	1656
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	367	459	452	958	1156	1631
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	1	-	31	-	-	29
27. अर्थोपाय पर ब्याज/ओवर ड्राफ्ट	-	-	1	-	-	-
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	35030	38187	42494	56871(पी)	62950(क्यू)	69752(ए)
29. बकाया लोक ऋण (वर्ष के अंत में)	7537	8441	9876	12645	15864	17123
30. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-	-
31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि(वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-	-
32. अपूर्ण योजनाओं की संख्या	1	1	1	1	11	27
33. अपूर्ण योजना में अवरूद्ध पूँजी	907	955	1007	1103	1310	1489

टिप्पणी: कोष्टक में आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता पूर्ण रूप में थी।

आर.ई: संशोधित प्राक्कलन, क्यू:- शीघ्र और ए: अग्रिम प्राक्कलन

* जल संसाधन विभागों से संबंधित आँकड़ों को छोड़कर।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ कंडिका:1.5.2; पृष्ठ -16)

सामाजिक सेवाओं के विभागों में बचतों/अभ्यर्पणों की विवरणी

(करोड़ रुपये में)

विभाग	शीर्ष	प्रावधान	व्यय	बचत/ अभ्यर्पण	बचत/अभ्यर्पण पर विपरित प्रभाव	राशि
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2210-01- 110-0018	121.3 8	7.5	113.88	(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विहित क्षेत्रा में प्रत्येक में 30 शय्या वाले छः सा.स्वा.के. का निर्माण नहीं होना।	53.75
	गैर योजना 2210-03- 103-0006				(ii) भवन निर्माण एवं मशीन खरीद नहीं होने के कारण 39 30 शय्या वाले सा.स्वा.के. में प्रत्येक में प्रा.स्वा.क.में उन्नयन नहीं होना।	11.63
	गैर योजना				(iii) 70 अ.प्रा.स्वा.के. का प्रा.स्वा.क. में उन्नयन नहीं हुआ।	17.50
					(iv) चार अनुमण्डलीय अस्पतालों का सदर अस्पताल में उन्नयन नहीं होना	12.00
					(v) सात मातृ-शिशु केन्द्रों का 30 शय्या वाले मातृ शिशु अस्पताल में उन्नयन नहीं होना	12.00
					(vi) पाँच शहरी पारिवारिक केन्द्रों का 30 शय्या वाले मातृशिशु अस्पताल में उन्नयन नहीं हुआ	6.00
					(vii) अनुमण्डलीय अस्पताल का सदर अस्पताल में उन्नयन नहीं होना।	4.50
					(viii) सदर अस्पताल राँची का 500 शय्या वाले अस्पताल में उन्नयन नहीं होना।	4.00
				ऊपर वर्णित कार्यों पर मात्र 7.5 करोड़ रुपये व्यय किये गए		
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2210-03- 103-0001	120.0 3	82.23	37.80	1267 चिकित्सक एवं 66 की नियुक्ति नहीं होने के कारण चिकित्सक एवं जनसंख्या अनुपात को 1: 12196 से 1: 25012 में विरूपित कर दिया गया।	37.80

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0103	19.00	9.70	9.30	सात प्रा.स्वा.के. एवं अ.प्रा.स्वा.के. का सा. स्वा.के. में उन्नयन नहीं होना।	9.30
	2210-03-796-0202	15.00	12.50	2.1	दो प्रा.स्वा.के. का सा.स्वा.के. में उन्नयन होना	2.1
	4210-01-200-0201	5.00	3.75	1.25	भवन निर्माण एवं संयंत्र और दवाईयों की खरीद नहीं होना	1.25
	4210-02-796-0215	12.00	3.85	8.15	48 प्रा.स्वा.के. में प्रसूति गृह का निर्माण नहीं होना	8.15
	4210-02-103-0111	12.00	0.70	11.30	58 प्रा.स्वा.के. में प्रसूतिगृह का निर्माण नहीं होना	11.30
गैर योजना	2202-01-101-0101	107.8 2	---	107.8 2	10,000 प्राथमिक विद्यालयों , 155 कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों एवं 128 बुनियादी विद्यालयों का सशक्तिकरण नहीं किया जाना	107.82
	2202-01-101-0101 सी.एस.पी.ए स.	49.89	13.34	36.55	14.62 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन से वंचित किया गया।	36.55
मानव संसाधन	2202-01-101-0101 योजना	88.99	85.66	3.34	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में रसोई घर का निर्माण नहीं होना एवं बर्तनों की खरीद नहीं किया जाना।	3.34
	2202-01-101-0206	65.17	42.07	23.10	सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को किताबों की आपूर्ति नहीं की जा सकी। मध्यान्ह भोजन के लाभ से 5.4 लाख विद्यार्थियों को वंचित किया गया।	9.00 14.10
	2202-02-109-0005	113.0 0	----	113.0 0	50 परियोजना विद्यालयों का मजबूतीकरण, 125 मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालय में और 100 उच्च विद्यालयों का 42 विद्यालयों में +2 उन्नयन नहीं होना तथा 150 बालिका माध्यमिक विद्यालय में चारदिवारी कानिर्माण नहीं होना।	113.00
	2225	9.00	0.48	8.52	चार जिले के 8 ब्लॉक के अन्दर 90 ग्रामों में झारखण्ड आदिवासी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया जाना	8.52
	2225	59.97		59.97	आदिवासी कल्याण योजनाओं यथा, आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आवासीय विद्यालयों में बिजली आपूर्ति इत्यादि का क्रियान्वयन नहीं किया जाना।	59.97
कल्याण						

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ कंडिका:1.5.3; पृष्ठ -17)

आर्थिक सेवायें के विभागों में बचत/अभ्यर्पण की विवरणी

(करोड़ रुपये में)

विभाग	शीर्ष	प्रावधान	व्यय	बचत/ अभ्यर्पण	बचत/अभ्यर्पण का विपरीत प्रभाव	राशि
ऊर्जा	6801-00-796-0202 योजना	530.00	52.00	478.00	प्रसारण के अन्तर्गत 52 उप बिजली केन्द्रों की अधिष्ठापन नहीं किया जाना	41.00
	6801-00-800-0101				प्रसारण लाइन का अधिष्ठापन नहीं किया जाना	437.00
	6801-00-202-0101	13.00		13.00	पा.टी.पी.एस. की इकाई सं 3 एवं 5 में जीर्णोद्धार कार्य नहीं होना	13.00
	6801-00-201-0101	22.00	--	22.00	आठ अपूर्ण लघु जल विद्युत परियोजनाओं (34.85 मेगावाट) का पूर्ण नहीं होना	22.00
	6801-00-796-0203		--	400.00	13 जिलों में नई ए० पी० डी० आर० पी० योजनायें एवं 6 जिलों में अतिरिक्त योजनायें	
					33/11 किलोवाट के 24 बिजली केन्द्रों का अधिष्ठापन नहीं हुआ।	94.12
					3 के वी एवं 11 के वी लाइनों के 1926.0 कि भ में तार नहीं बिछाया गया।	108.59
					1241 वितरण प्रणाली का अधिष्ठापन एवं जीर्णोद्धार नहीं हुआ।	175.31
					उपभोक्ता केन्द्रों, ऊर्जा लेखा प्रणाली एवं मिटरिंग का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ।	21.98
ग्रामीण विकास				20.64	बी पी एल के अन्दर 8256 इन्दिरा आवासों का निर्माण नहीं होना	20.64
				92.77	बी.पी.एल. के अन्तर्गत लोगों को रोजगार देने की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अपूर्ण रहने से लगभग 74.25 लाख मानव दिवस रोजगार की प्रत्यक्ष कमी	92.77
				3.91	सुखाड़ क्षेत्रों यानि 14 जिलों के 150-200 ग्रामों के 500 हेक्टेयर भूमि में जल संरक्षण के लगभग आधे कार्यों का पूर्ण नहीं होना।	3.91
				47.43	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के लगभग आधे कार्यों का पूर्ण नहीं होना।	47.43

परिशिष्ट -1.8

(संदर्भ कंडिका: 1.5.6; पृष्ठ.....)

झारखण्ड राज्य के लिए 1.4.2006 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए सहायता अनुदान (राज्य) से संबंधित बकाये परंतु 30 सितम्बर 2007 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विभाग	वर्ष	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	
1.	उद्योग	2005-06 2006-07 तक	98 101	49702.30 84384.46	8 39	11789.24 686.74	90 62	37913.06 83697.72	152 (मद) 121610.78 (राशि)
2.	पशुपालन	2005-06 2006-07 तक	46 65	445.83 1160.48	46 45	445.83 898.31	- 20	- 262.17	20 (मद) 262.17(राशि)
3.	सहकारिता	2005-06 2006-07 तक	73 29	19614.32 8689.86	63 6	8545.50 2336.45	10 23	11068.82 6353.41	33 (मद) 17422.23(राशि)
4.	चिकित्सा	2005-06 2006-07 तक	5 5	8004.65 5462.47	4 1	7182.00 1052.73	1 4	822.65 4409.74	5 (मद) 5232.39(राशि)
5.	कृषि	2005-06 2006-07 तक	18 3	9639.17 410.00	18 -	9639.17 -	- 3	- 410.00	3 (मद) 410.00 (राशि)
6.	कल्याण	2005-06 2006-07 तक	18 31	5733.31 1462.26	3 -	172.47 -	15 31	5560.84 1462.26	46 (मद) 7023.10 (राशि)
7.	शिक्षा	2005-06 2006-07 तक	101 39	70405.54 39622.65	35 4	40687.92 835.30	66 35	29817.62 38787.35	101(मद) 68604.97(राशि)
8.	शहरी विकास	2005-06 2006-07 तक	802 600	17187.27 34444.79	151 25	873.54 16148.80	651 575	8450.73 18295.99	1226 (मद) 26746.72(राशि)
9.	अन्य	2005-06 2006-07 तक	58 157	28552.86 41038.53	11 48	26393.79 2871.42	47 109	2159.07 38167.00	1(मद) 21.38(राशि)
10.	भूमि सुधार	2005-06 2006-07 तक	2 1	24.36 21.38	2 -	24.36 -	- 1	- 21.38	156(मद) 40326.07 (राशि)
	कुल जोड़		2252	426006.49	509	138346.57	1743	287659.92	1743(मद) 287659.81 (राशि)

परिशिष्ट- 2.1

(संदर्भ कडिका 2.3.1; पृष्ठ -36)

जिन क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई

(करोड़ रुपये में)

अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष	जिस क्षेत्र में बड़ी बचत हुई	बचत	बचत के मुख्य कारण
10 ऊर्जा विभाग	2801-80-101-0001	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान सहायता (गेर योजना)	85.35	बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने और समय की कमी के कारण 85.35 करोड़ रुपये की निकासी नहीं होना बताया गया
	2801-05-796-0201	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (योजना) के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान	66.00	भारत सरकार से 66.00 करोड़ रुपये निर्गत नहीं होना बताया गया
	800-0101	वही	34.00	भारत सरकार से 34.00 करोड़ रुपये निर्गत नहीं होना बताया गया
	6801-796-0202	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	323.39	291 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति आर.ई.सी. द्वारा समय पर नहीं होने एवं पिछले वर्ष के 32.37 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र का उपलब्ध नहीं होना बताया गया
	6801-0101	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	154.61	146 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति आर.ई.सी.एल. द्वारा समय पर नहीं होने एवं पिछले वर्ष के 8.61 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र का उपलब्ध नहीं होना बताया गया
	6801-202-0101	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र को ऋण (योजना)	13.00	कुल प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण पिछले वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण राशि आहरित नहीं किया जाना बताया गया
	6801-796-0201	त्वरित विद्युत शक्ति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	198.00	पूरे प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण भारत सरकार से राशि आहरित नहीं होने और वित्तीय संस्थानों से ऋण की स्वीकृति नहीं होना बताया गया।
	0203	झारखण्ड जल विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	18.00	अपूर्ण जल विद्युत परियोजना
	6801-800-0002	त्वरित पावर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	211.53	कारण नहीं बताये गये
	6801-800-0102	त्वरित विद्युत शक्ति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (योजना)	102.00	पूरे प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण भारत सरकार से राशि का निर्गत नहीं होना और आर.ई.सी. द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं होना बताया गया
20. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-0101	अधीक्षक (योजना)	16.13	(i) योजनाओं 11.13 करोड़ (रुपये) का प्राक्कलन तैयार करने में विलम्ब (ii) दूसरी इकाई को राशि देना (5 करोड़ रुपये)

	0013	सदर अस्पताल (गैर योजना)	16.12	1.70 करोड़ रुपये दूसरी इकाई को दिये गये। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताये गए।
	103-0001	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर योजना)	37.79	दूसरे पूरक के लिए राशि (11.45 करोड़ रुपये) देने और अनुसंधान प्रतिवेदन की कमी (1.50 करोड़ रुपये) शेष राशि के लिए कारण नहीं बताये गए।
	0003	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर योजना)	20.67	कारण नहीं बताये गए।
	0006	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढीकरण	58.49	18.50 करोड़ रुपये की निधि का अधिक प्रावधान 39.99 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं बताये गए।
	04-105-0006	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (गैर योजना)	26.22	अनुदान सहायता निधि के 26.22 करोड़ रुपये का निर्गत नहीं होना।
	2211-101-0402	स्वास्थ्य उप केन्द्र (सी.पी.एस.)	69.99	32.14 करोड़ रुपये के लिए माँग पत्र प्राप्त नहीं हुए। शेष राशि के लिए कारण नहीं बताए गए।
	105-0401	जिला आयुर्विज्ञान स्तरीय महाविद्यालयों में प्रसव कार्यक्रम के उपरांत क्षतिपूर्ति (सी.पी.एस.)	10.99	भारत सरकार द्वारा 10.99 करोड़ रुपये के व्यय पर रोक लगाना बताया गया।
	4210-02-103-0111	भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (योजना)	11.30	7.84 करोड़ रुपये का कारण प्राक्कलन अप्राप्त होना बताया गया। 3.45 करोड़ रुपये के लिए कारण नहीं बताये गए
	0104	भवन, सदर अस्पताल (योजना)	33.29	हुडको और नावार्ड द्वारा 32.99 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत नहीं हुए। शेष राशि के लिए कारण नहीं बताये गए।
41 पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-0101	वृहत पथो की अद्यतन योजना (योजना)	71.73	कारण नहीं बताये गये
	796-0201	मुख्य पथ गैर योजना (योजना)	199.54	कारण नहीं बताये गये
	0202 ए	मुख्य पथ नयी योजना (योजना)	49.07	कारण नहीं बताये गये
	0203	पुल (योजना)	23.17	कारण नहीं बताये गये
	0204	पुल (योजना)	10.93	कारण नहीं बताये गये
42. ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-101-0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.एस.एस.)	16.65	कारण नहीं बताये गये
	796-0201	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.एस.एस.)	34.92	कारण नहीं बताये गये
	2505-01-702-0101	इंदिरा आवास योजना (सी.एस.एस.)	22.65	कारण नहीं बताये गये
	2505-01-702-0111	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	73.36	11.25 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया जाना बताया गया। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताये गये ।

	2505-01-- 796-0201	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	100.22	कारण नहीं बताये गये
	2505-01-796- 0206	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (योजना)	11.26	केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण 4.09 करोड़ रुपये और 7.00 करोड़ रुपये अधिक प्रावधान के लिए बताया गया। शेष राशि के लिए कारण नहीं बताये गए।
	209	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	19.41	केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण 10 करोड़ रुपये और 9.41 करोड़ रुपये अधिक प्रावधान के लिए बताया गया।
	2515-001- 0003	जिला पंचायत स्थापना (गैर योजना)	14.25	कारण नहीं बताये गये
	0113	ग्राम सभा को अनुदान	14.54	10.15 करोड़ रुपये अधिक आवंटन के लिए बताया गया 13.99 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं बताये गये।
	2505-01-702- 0101	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	80.00	कारण नहीं बताये गये
	0401	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	25.53	कारण नहीं बताये गये
	796-202	इंदिरा आवास योजना (सी.एस.एस.)	69.76	कारण नहीं बताये गये
	0401	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (सी.पी.एस.)	7600.00	कारण नहीं बताये गये
	2505-001- 0108	पंचायती राज्य संस्थान को सहायता (योजना)	53.39	कारण नहीं बताये गये
	796-207	पंचायती राज्य संस्थान को सहायता (योजना)	42.81	कारण नहीं बताये गये
	4515-103- 0101	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (योजना)	27.00	कारण नहीं बताये गये
	0110	मुख्य मंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)	26.23	0.75 करोड़ रुपये के अधिक प्रावधान। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताये गये।
	796-0203	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (योजना)	24.94	कार्यरत बल में कमी के कारण 1.24 करोड़ रुपये बताया गया। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताये गये।
	0204	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)	21.20	कारण नहीं बताये गये
	0208	विधान सभा के सदस्यों की अनुशंसा से लागू योजनादष्	14.64	कारण नहीं बताये गये
44. माध्यमिक प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग	2202-01-101- 0001	राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय (गैर योजना)	104.84	कारण नहीं बताये गये
	0101	राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय (सी.एस.एस.)	36.55	कारण नहीं बताये गये
	0206	राजकीय प्राथमिक और	23.10	कारण नहीं बताये गये

		माध्यमिक विद्यालय (योजना)		
	2202-01-101-0003	प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण (गैर योजना)	107.82	कारण नहीं बताये गये
	02-109-0006	प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण (गैर योजना)	118.06	कारण नहीं बताये गये
	4202-01-202-0101	विशेष समेकित योजना के अंतर्गत मॉडल विद्यालय का निर्माण (योजना)	16.00	कारण नहीं बताये गये
	796-201	विशेष समेकित योजना के अंतर्गत मॉडल विद्यालय का निर्माण (योजना)	16.50	कारण नहीं बताये गये
48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-05-191-0601	केन्द्र प्रायोजित योजना जे. एन.एन.यू आर एम/यू आई डी.एस.एस.एम.टी. आदि के लिए केन्द्रांश (सी.एस.एस)	70.00	कारण नहीं बताये गये
	80-191-0102	केन्द्र प्रायोजित योजना जे.एन.एन.यू. आर. एम./यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. आदि के लिए केन्द्रांश (योजना)	70.00	केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हाना 51.50 करोड़ रुपये बताया गया। निधि के कम प्रावधान के कारण 18.50 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन हुआ था।
	6215-01-796-0202	पेयजल आपूर्ति हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ऋण	15.21	केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हाना के कारण 9.75 करोड़ रुपये बताया गया। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताया गया।
	4217-60-190-0113	राजधानी रॉची के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान (योजना)	50.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का पूरा नहीं होना
51- कल्याण विभाग	2225-02-796-0220	टी.ए.एस.पी. विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (योजना)	55.84	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होने के कारण 54.07 करोड़ रुपये बताया गया। शेष राशि के लिए कोई कारण नहीं बताये गए।
	2235-02-102-0602	समेकित बाल विकास योजना (सी.एस.एस.)	25.19	कारण नहीं बताये गये
	0614	समेकित बाल विकास योजना (सी.एस.एस.)	31.09	कारण नहीं बताये गये
	4225-02-796	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) योजना (योजना)	19.49	कारण नहीं बताये गये

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ कंडिका- 2.3.1; पृष्ठ -36)
प्रावधान के 25 प्रतिशत से अधिक की बचतें

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व दत्तमत	उपबंध	बचत	प्रतिशत
1	2 पशुपालन विभाग	138.26	67.42	49
2	3 भवन निर्माण विभाग	129.02	67.06	52
3	7-सतर्कता	6.43	2.39	37
4	8 नागरिक उड्डयन विभाग	97.81	31.32	31
5	10 ऊर्जा विभाग	437.86	191.09	44
6	17-वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	21.00	6.61	31
7	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	840.15	449.62	54
8	23 उद्योग विभाग	169.82	48.89	29
9	25 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	3.35	2.03	61
10	29- खान एवं भूतत्व विभाग	19.93	8.61	43
11	34-झारखण्ड लोक सेवा आयोग	7.58	3.12	41
12	39 आपदा प्रबंधन विभाग	358.40	197.66	55
13	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	160.87	47.73	30
14	42 ग्रामीण विकास विभाग	1295.86	764.26	59
15	43 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	116.10	69.05	59
16	48 शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	334.51	179.69	54
17	51 कल्याण विभाग	745.26	206.71	28
18	52 कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	24.12	14.43	60
कुल		4906.33	2357.69	
पूँजीगत (दत्तमत)				
1	1 कृषि विभाग	4.10	1.10	27
2	9-सहकारिता विभाग	90.46	77.65	86
3	10- ऊर्जा विभाग	1317.33	929.88	71
4	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	147.49	94.46	64
5	23 उद्योग विभाग	4.75	2.49	52
6	22 विधि विभाग	6.28	1.81	29
7	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	306.84	159.56	52
8	41 पथ निर्माण विभाग	520.10	390.95	75
9	44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	32.50	32.50	100
10	47 परिवहन विभाग	45.15	44.82	99
11	48 शहरी विकास एवं आवास विभाग	132.20	65.51	50
12	49 जल संसाधन विभाग	364.50	141.06	39
13	50 लघु सिंचाई विभाग	137.64	88.45	64
14	51 कल्याण विभाग	63.87	23.27	36
कुल		3173.21	2053.51	
कुल योग		8079.54	4411.20	

परिशिष्ट- 2.3

(संदर्भ कंडिका- 2.3.1; पृष्ठ -36)

प्रावधान के 10 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपये से अधिक की बचतें

(करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	राजस्व दत्तमत	प्रावधान	बचत
1.	1 कृषि विभाग	199.17	47.02
2.	2 पशुपालन विभाग	138.26	67.42
3.	3 भवन निर्माण विभाग	129.02	67.06
4.	4 मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	19.85	4.00
5.	6 चुनाव	11.18	1.99
6.	7 सतर्कता	6.43	2.39
7.	8 नागरिक उड्डयन विभाग	97.81	31.32
8.	9 सहकारिता विभाग	136.85	29.83
9.	10 ऊर्जा विभाग	437.86	191.09
10.	11 उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	9.08	1.60
11.	12 वित्त विभाग	20.44	3.14
12.	15 पेंशन	791.14	112.17
13.	17 वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	21.00	6.61
14.	18 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यकर विभाग	71.26	12.36
15.	19 वन एवं पर्यावरण विभाग	217.06	34.73
16.	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	840.15	449.62
17.	22 गृह विभाग	1120.74	248.30
18.	23 उद्योग विभाग	169.82	48.89
19.	25 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	3.35	2.03
20.	26 श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	218.47	33.02
21.	29 खान एवं भू-तत्व विभाग	19.93	8.61
22.	33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	9.19	1.61
23.	34 झारखण्ड लोक सेवा आयोग	7.58	3.12
24.	35 योजना एवं विकास विभाग	332.75	62.61
25.	39 आपदा प्रबंधन विभाग	358.40	197.66
26.	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	160.87	47.73
27.	41 पथ निर्माण विभाग	127.81	20.10
28.	42 ग्रामीण विकास विभाग	1295.86	764.26
29.	43 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	116.10	69.05
30.	44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	1852.62	387.10
31.	48 शहरी विकास एवं आवास विभाग	334.51	179.69
32.	49 जल संसाधन विभाग	150.83	21.34
33.	51 कल्याण विभाग	745.26	206.71
34.	52 कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	24.12	14.43
	कुल	10194.77	3378.61

पूँजीगत (दत्तमत)			
1	1 कृषि विभाग	4.10	1.10
2	3 भवन निर्माण विभाग	74.25	13.07
3	9-सहकारिता विभाग	90.46	77.65
4	10 ऊर्जा विभाग	1317.33	929.88
5	12 वित्त विभाग	17.00	3.03
6	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	147.49	94.46
7	22 गृह विभाग	54.36	12.09
8	23 उद्योग विभाग	4.75	2.49
9	27- कानून विभाग	6.28	1.81
10	30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	12.70	2.09
11	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	306.84	159.56
12	41 पथ निर्माण विभाग	520.10	390.95
13	42 ग्रामीण विकास विभाग	603.43	130.44
14	44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	32.50	32.50
15	46- पर्यटन विभाग	21.00	5.16
16	47 परिवहन विभाग	45.15	44.82
17	48 नगर विकास एवं आवास विभाग	132.20	65.51
18	49 जल संसाधन विभाग	364.50	141.06
19	50 लघु सिंचाई विभाग	137.64	88.45
20	51 कल्याण विभाग	63.87	23.27
21	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	212.58	46.36
	कुल	4168.53	2265.75
	कुल योग	14363.30	5644.36

परिशिष्ट - 2.4
(संदर्भ कंडिका- 2.3.2; पृष्ठ -37)
निधि का अधिक प्रावधान/आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग संख्या लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	कुल व्यय	बचत	निधि के अधिक प्रावधान के कारण बचत
1	अनुदान संख्या-2 2403-105-0002	92.17	65.55	26.62	14.00
2	अनुदान संख्या-9 2425-001-0001	137.10	97.40	39.70	4.37
3	2425-001-0002	981.06	752.36	228.70	15.97
4	2425-004-0001	37.64	15.08	22.56	0.78
5	अनुदान संख्या-20 2210-103-0006	6399.00	550.00	5849.00	1850.00
6	अनुदान संख्या-27 2014-114-0003	210.00	127.23	82.77	15.25
7	अनुदान संख्या-34 2051-102-0001	758.29	446.61	311.68	179.29
8	अनुदान संख्या-35 3454-111-0001	173.61	149.85	23.76	13.78
9	3454-204-0001	127.54	91.11	36.43	23.43
10	अनुदान संख्या-39 2245-05-101-0001	3243.00	3196.21	46.79	45.50
11	अनुदान संख्या-42 2501-101-0102	996.11	12.18	983.93	13.00
12	2505-702-0107	1583.50	645.62	937.88	500.00
13	2505-702-0111	7846.15	510.00	7336.15	1125.00
14	2505-796-0206	1971.94	845.83	1126.11	700.00
15	2505-796-0209	8890.08	6949.06	1941.02	1000.00
16	2515-102-0113	6324.12	4869.87	1454.25	1055.12
17	अनुदान संख्या-48 2215-02-191-0103	111.00	33.10	77.90	9.07
18	2251-092-0002	98.38	73.80	24.58	11.76
19	अनुदान संख्या-50 4702-102-0101ए	3936.42	1034.41	2902.01	1422.13
20	4702-796-0204	3971.22	2023.49	1947.73	1934.89
21	अनुदान संख्या-51 2225-277-0011	3751.80	3076.11	675.69	593.48
22	2225-796-0211	103.00	54.78	48.22	3.48
23	2225-02-796-0201	885.00	398.53	486.47	11.47
24	2225-796-0203	70.00	19.32	50.68	47.18
25	2225-796-0205	80.00	34.99	45.01	11.01
26	2225-796-0206	60.00	12.33	47.67	19.88
27	2225-800-0101	161.00	86.34	74.66	27.08
28	2235-02-106-0001	198.27	159.31	38.96	14.68

29	2251-090-0006	160.07	121.18	38.89	31.13
30	4225-01-796-0202	170.00	151.99	18.01	17.78
31	4225-02-277-0101	130.00	52.61	77.39	27.39
32	अनुदान संख्या-52 4202-04-800-0102	300.00	23.01	276.99	110.00
	कुल	53957.47	26679.26	27278.21	10847.90

परिशिष्ट- 2.5
(संदर्भ कंडिका- 2.3.2 पृष्ठ -37)

प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये और प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत के मामले

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में) और कोष्ठक में प्रावधान से इसकी प्रतिशतता		
		2004-05	2005-06	2006-07
	राजस्व दत्तमत			
1.	1- कृषि विभाग	49.26(33)	31.55(19)	47.02(24)
2.	2- पशुपालन विभाग	19.94(27)	17.54(22)	67.42(49)
3.	3- भवन निर्माण विभाग	12.47(22)	16.93(18)	67.06(52)
4.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	41.32(92)	54.90(81)	31.32(32)
5.	10- ऊर्जा विभाग	69.71(16)	87.69(16)	191.09(44)
6.	15- पेंशन	307.71(33)	117.48(15)	112.17(14)
7.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	5.26(24)	4.88(25)	6.61(31)
8.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	42.40(54)	7.80(11)	12.36(17)
9.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	23.33(12)	33.64(17)	34.73(16)
10.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	82.63(18)	359.07(43)	449.62(54)
11.	22- गृह विभाग	160.71(20)	275.13(24)	248.30(22)
12.	23- उद्योग विभाग	96.47(58)	39.97(26)	48.89(29)
13.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	33.04(26)	17.10(11)	33.02(15)
14.	29- खान एवं भू-तत्त्व विभाग	7.75(38)	4.50(25)	8.61(43)
15.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	27.62(23)	19.69(16)	47.73(30)
16.	41- पथ निर्माण विभाग	20.57(20)	14.10(11)	20.10(16)
17.	42- ग्रामीण विकास विभाग	746.33(60)	564.20(53)	764.26(59)
18.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	79.77(60)	32.57(25)	69.05(59)
19.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग	230.84(16)	148.00(10)	387.10(21)
20.	49- जल संसाधन विभाग	6.95(31)	21.47(19)	21.34(14)
21.	51- कल्याण विभाग	145.16(27)	100.87(17)	206.71(28)
22.	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	10.15(58)	7.41(46)	14.43(60)
	पूँजीगत दत्तमत			
1.	3- भवन निर्माण विभाग	43.55(62)	22.33 (32)	13.07(18)
2.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4.55(46)	3.77(31)	2.09(16)
3.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	89.84(43)	67.63(26)	159.56(52)
4.	42- ग्रामीण विकास विभाग	234.01(30)	101.87(15)	130.44(22)
5.	47- परिवहन विभाग	51.40(98)	52.65(84)	44.82(99)
6.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	67.03(51)	25.00(19)	65.51(50)
7.	49- जल संसाधन विभाग	137.19(37)	81.62(21)	141.06(39)
8.	50- लघु सिंचाई विभाग	44.11(62)	25.84(38)	88.45(64)
9.	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	73.17(75)	12.09(10)	46.36(22)
	कुल	773.42	500.02	1176.77

परिशिष्ट - 2.6
(संदर्भ कंडिका - 2.3.5; पृष्ठ -38)
मामले जहाँ पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(लाख रूपयें में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	पूरक अनुदान/विनियोग	बचत
राजस्व			
1.	1- कृषि विभाग	510.79	4702.13
2.	2- पशुपालन विभाग	100.77	6742.19
3.	3- भवन निर्माण विभाग	1019.12	6705.59
4.	4- मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वयन	363.84	400.37
5.	5- राज्यपाल सचिवालय	34.30	81.61
6.	7-सतर्कता	11.14	239.61
7.	9- सहकारिता विभाग	1974.48	2982.60
8.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	3.92	160.36
9.	12- वित्त विभाग	15.10	314.03
10.	16- राष्ट्रीय बचत	39.54	59.52
11.	18 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	1.50	1235.89
12.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	877.30	3473.38
13.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1161.10	44962.31
14.	22- गृह विभाग	3883.85	24829.52
15.	23- उद्योग विभाग	290.13	4888.82
16.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	47.87	203.46
17.	27- कानून विभाग	225.64	566.98
18.	29- खान एवं भू-तत्व विभाग	164.73	861.42
19.	33- सार्वजनिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	160.13	161.14
20.	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	32.50	311.68
21.	35- योजना एवं विकास विभाग	19.15	6261.12
22.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	27.97	777.42
23.	37- राजभाषा विभाग	25.23	95.55
24.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	738.81	4773.31
25.	41 पथ निर्माण विभाग	32.78	2010.40
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	15041.55	76425.75
27.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	310.76	6904.63
28.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	6449.13	38710.08
29.	46- पर्यटन विभाग	11.87	87.54
30.	42- शहरी विकास एवं आवास विभाग	1295.06	17969.04
31.	51- कल्याण विभाग	3459.82	20670.80
32.	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	436.52	1443.05
पूँजीगत			
1	3- भवन निर्माण विभाग	424.74	1307.13
2	9- सहकारिता विभाग	1046.26	7764.87
3	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	400.00	9445.74
4	27- कानून विभाग	27.64	180.82
5	22- गृह विभाग	633.75	1209.27

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

6	42- ग्रामीण विकास विभाग	10.96	13044.41
7	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	50.00	3249.70
8	50- लघु सिंचाई विभाग	1344.27	8844.60
9	51- कल्याण विभाग	289.24	2327.19
	कुल	42993.26	327385.03

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ कडिका: 2.3.5; पृष्ठ -38)

मामले जहाँ पूरक प्रावधान अधिक साबित हुए

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	पूरक अनुदान/विनियोग	बचत
राजस्व अनुभाग		(लाख रुपये में)	
1.	10- ऊर्जा विभाग	28788.73	19109.24
2.	21 उच्च शिक्षा विभाग	4240.90	1259.40
3.	24-सूचना एवं जन-प्रचार विभाग	575.60	106.48
4.	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	74.00	45.54
5.	32- विधान परिषद्	270.66	87.79
6.	49- जल संसाधन विभाग	3759.30	2134.08
7.	50- लघु सिंचाई विभाग	1170.61	279.06
	कुल	38879.80	23021.59

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ कडिका: 2.3.5; पृष्ठ -38)

जहाँ मामले अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त साबित हुए

(करोड़ रुपये में)					
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
राजस्व अनुभाग					
1.	13- ब्याज भुगतान	777.41	2.39	1613.38	833.58
2.	38- निबंधन विभाग	6.00	3.85	9.86	0.01
पूँजीगत अनुभाग					
3.	14- ऋण का पुनर्भुगतान	373.82	50.00	836.10	412.28
	कुल	1157.23	56.24	2459.34	1245.87

परिशिष्ट- 2.9

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ -39)

एक करोड़ रुपये से अधिक प्रत्याशित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं की गईं

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित बचत	अनभ्यर्पित की प्रतिशतता
	राजस्व (दत्तमत)				(करोड़ रुपये में)
1.	1- कृषि विभाग	47.02	45.68	1.34	3
2.	2- पशुपालन विभाग	67.42	62.13	5.29	8
3.	3- भवन निर्माण विभाग	67.06	61.39	5.67	8
4.	4- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	4.00	1.68	2.32	58
5.	12- वित्त विभाग	3.14	1.49	1.65	53
6.	15- पेंशन	112.17	0.00	112.17	100
7.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	34.73	11.24	23.49	68
8.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	449.62	257.57	192.05	43
9.	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	12.59	0.00	12.59	100
10.	22- गृह विभाग	248.30	228.19	20.11	8
11.	23- उद्योग विभाग	48.89	47.39	1.50	3
12.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम	2.03	0.00	2.03	100
13.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	33.02	13.28	19.74	60
14.	29- खान एवं भू-तत्व विभाग	8.61	3.45	5.16	60
15.	35- योजना एवं विकास विभाग	62.61	52.66	9.95	16
16.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	47.73	38.40	9.33	20
17.	42- ग्रामीण विकास विभाग	764.26	234.03	530.23	69
18.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	69.05	46.32	22.73	33
19.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग	387.10	2.85	384.25	99
20.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	179.69	93.86	85.83	48
21.	49- जल संसाधन विभाग	21.34	12.39	8.95	42
22.	51- कल्याण विभाग	206.71	115.13	91.58	44
23.	52-कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	14.43	0.27	14.16	98
	पूँजीगत (दत्तमत)				
1.	3- भवन निर्माण विभाग	13.07	12.46	0.61	5
2.	9- सहकारिता विभाग	77.65	47.93	29.72	38
3.	10- ऊर्जा विभाग	929.88	813.00	116.88	13
4.	12- वित्त विभाग	3.03	2.33	0.70	23
5.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	94.46	72.92	21.54	23
6.	22- गृह विभाग	12.09	7.84	4.25	35
7.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.09	0.20	1.89	90
8.	41- पथ निर्माण विभाग	390.95	370.94	20.01	5
9.	42- ग्रामीण विकास विभाग	130.44	32.54	97.90	75
10.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	32.50	0.00	32.50	100
11.	46- पर्यटन विभाग	5.16	0.00	5.16	100
12.	47- परिवहन विभाग	44.82	0.00	44.82	100

13.	48- शहरी विकास एवं आवास	65.51	41.84	23.67	36
14.	49- जल संसाधन विभाग	141.06	49.17	91.89	65
15	50- लघु सिंचाई विभाग	88.45	67.02	21.43	24
16	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	46.36	4.10	42.26	91
	कुल	4969.04	2851.69	2117.35	

परिशिष्ट -2.10
(संदर्भ कंडिका : 2.3.6; पृष्ठ -39)
31 मार्च 2007 को अभ्यर्पण

(हजार रुपये में)

अनुदान सं.	राजस्व	पूँजीगत	कुल
1	456797	11000	467797
2	617958	9729	627687
3	613917	124565	738482
4	16757	0	16757
6	22951	0	22951
7	23559	0	23559
8	337502	0	337502
9	293832	479250	773082
10	1901561	8130000	10031561
11	20162	0	20162
12	14945	23313	38258
13	7946	0	7946
14	0	27878	27878
16	5952	0	5952
17	66208	0	66208
18	116036	0	116036
19	103857	0	103857
20	2508732	729179	3237911
22	2281906	78425	2360331
23	473913	24850	498763
24	10633	0	10633
26	132789	0	132789
27	49822	17974	67796
28	3030	0	3030
29	34530	0	34530
30	3289	2030	5319
31	4055	0	4055
32	7192	615	7807
33	13902	0	13902
34	30948	0	30948
35	526610	0	526610
36	70124	1236394	1306518
37	8696	0	8696
38	1354	0	1354
39	1974305	0	1974305
40	157683	10	157693
41	269767	3709401	3979168
42	1043758	325415	1369173
43	444227	0	444227
44	28466	0	28466
46	399	0	399
48	938645	418424	1357069

49	123857	491746	615603
50	19182	612434	631616
51	838786	231806	1070592
कुल	16620540	16684438	33304978

31 मार्च 2007 से पहले अभ्यर्पित			
2	3355	0	3355
19	8583	0	8583
20	66987	0	66987
36	0	376000	376000
40	226322	0	226322
42	1296533	0	1296533
43	19000	0	19000
50	0	57791	57791
51	312553	0	312553
52	2700	41000	43700
कुल	1936033	474791	2410824
कुल योग	18556573	17159229	35715802

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ -39)

मार्च 2007 के दौरान अभ्यर्पित एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	अनुदान/विनियोग	अभ्यर्पित राशि
1.	1- कृषि विभाग	राजस्व दत्तमत	45.68
2.	2- पशुपालन विभाग	राजस्व दत्तमत	61.80
3.	3- भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	61.39 12.46
4.	6- चुनाव	राजस्व दत्तमत	2.30
5.	9- सहकारिता विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	29.38 47.93
6.	10- ऊर्जा विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	190.16 813.00
7.	11- उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	राजस्व दत्तमत	2.02
8.	12- वित्त विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	1.49 2.33
9.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	राजस्व दत्तमत	6.62
10.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	राजस्व दत्तमत	11.60
11.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व दत्तमत	10.39
12.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	250.87 72.92
13.	22- गृह विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	228.19 7.84
14.	23- उद्योग विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	47.39 2.49
15.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व दत्तमत	13.28
16.	27- कानून विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	4.98 1.80
17.	29- खान एवं भू-तत्व विभाग	राजस्व दत्तमत	3.45
18.	33- सार्वजनिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	1.39
19.	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व भारित	3.09
20.	35- योजना एवं विकास विभाग	राजस्व दत्तमत	52.66
21.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	7.01 161.24
22.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	197.43
23.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	38.27
24.	41- पथ निर्माण विभाग	पूँजीगत दत्तमत राजस्व दत्तमत	26.98 370.94
25.	42- ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	137.63 32.54
26.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व दत्तमत	44.42
27.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत	2.85
28.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	93.86 41.84
29.	49- जल संसाधन विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	12.39 49.17

30.	50- लघु सिंचाई विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	1.92 61.24
31.	51- कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	115.13 23.18
	कुल		3406.94

परिशिष्ट - 2.12
(संदर्भ कंडिका: 2.4; पृष्ठ -39)
बचत से अधिक अभ्यर्पण

(लाख रुपये में)					
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	प्रावधान	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पित
राजस्व अनुभाग					
1.	6- चुनाव	1118.29	199.40	229.51	30.11
2.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	907.75	160.36	201.62	41.26
3.	17- वित्त(वाणिज्यकर) विभाग	2099.95	660.98	662.08	1.10
4.	32- विधान परिषद्	13.92	3.76	6.15	2.39
5.	41- पथ निर्माण विभाग	12780.60	2010.40	2697.67	687.27
पूँजीगत शीर्ष					
1.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	30684.00	15956.39	16123.94	167.55
कुल		47604.51	18991.29	19920.97	929.68

परिशिष्ट -2.13
(संदर्भ कंडिका: 2.4; पृष्ठ -39)
अधिक व्यय के बावजूद अभ्यर्पण

(लाख रुपये में)				
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	प्रावधान	अधिक व्यय	अभ्यर्पण
राजस्व अनुभाग				
1.	13- ब्याज भुगतान	77979.34	83358.32	79.46
	38- निबंधन विभाग	985.65	0.81	13.54
पूँजीगत अनुभाग				
1.	14- ऋण का पुनर्भुगतान	42381.77	41227.75	278.78
कुल		121346.76	124586.88	371.78

परिशिष्ट - 2.14
(संदर्भ कंडिका: 2.5; पृष्ठ -39)
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(लाख रुपये में)								
क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान को प्रभावित करने वाला मुख्य शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन / अभ्यर्पण	कुल अनुदान	व्यय	बचत (-) आधिक्य (+) की राशि
1.	3	4216-01-700-0101	100.00	-	(-)88.30	11.70	58.96	(+)47.26
2.	3	4216-01-796-0202	100.00	-	(-)67.47	32.53	123.43	(+)90.90
3.	6	2015-105-0002	0.02	414.98	(-)73.43	341.57	372.54	(+)30.97
4.	8	3053-02-102-0201	6000.00	-	(-)2462.01	3537.99	3780.88	(+)242.89
5.	11	2039-001-0002	740.42	-	(-)150.76	589.66	631.55	(+)41.89
6.	22	2055-001-0001	6600.65	30.67	(-)5121.74	1509.58	1834.57	(+)324.99
7.	22	2055-109-0001	42139.25	256.00	(-)5812.11	36583.14	37625.77	(+)1042.63
8.	27	2014-105-0001	6363.10	35.00	(-)292.67	6105.43	6159.72	(+)54.29
9.	36	4215-01-796-0105	1105.00	-	(-)676.45	428.55	801.07	(+)372.52
10.	41	3054-03-337-0001	7400.00	-	(-)1651.68	5748.32	6328.37	(+)580.05
11.	41	3054-80-001-0008	956.30	0.22	(-)237.04	719.48	1046.80	(+)327.32

परिशिष्ट - 2.15
(संदर्भ कंडिका: 2.6; पृष्ठ -39)
असमाशोधित व्यय की विवरणी

क्र.सं.	विभाग	इकाइयाँ	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	वित्त विभाग	71	746.53
2.	मानव संसाधन विभाग	817	1746.36
3.	परिवहन विभाग	10	189.16
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	36	233.62
5.	कानून विभाग	19	77.00
6.	पथ एवं भवन निर्माण विभाग	08	27.39
7.	पंचायती राज	144	261.94
8.	जल संसाधन विभाग	15	82.58
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	44	43.10
10.	ऊर्जा विभाग	02	239.45
11.	मुद्रांक एवं निबंधन विभाग	12	1.16
12.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	01	3.52
13.	खान एवं भू-तत्व विभाग	06	6.22
14.	आरक्षी (गृह) विभाग	33	796.62
15.	मंत्रिमण्डल सचिवालय सेवार्ये	06	19.65
16.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	85	402.34
17.	आवास विभाग	22	102.56
18.	श्रम एवं नियोजन विभाग	08	21.41
19.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	62	401.57
20.	सूचना एवं जन-प्रचार विभाग	04	19.16
21.	शहरी एवं योजना विभाग	07	7.44
22.	पशुपालन (मत्स्य) विभाग	38	27.77
23.	ग्रामीण विकास विभाग	16	301.26
24.	उद्योग विभाग	418	120.33
25.	पर्यटन विभाग	09	20.67
26.	कृषि विभाग	20	118.34
27.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13	3.71
28.	प्रशासनिक विभाग	04	9.34
29.	बिक्री कर विभाग	01	13.56
30.	सहकारिता विभाग	04	2.53
31.	भवन निर्माण विभाग	01	00.29
32.	पासपोर्ट संगठन	01	00.08
33.	उत्पाद विभाग	40	49.66
34.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	01	00.44
35.	राष्ट्रीय बचत	04	3.10
36.	आपदा प्रबंधन विभाग	02	159.11
	कुल	1984	6258.97

परिशिष्ट: 2.16

(संदर्भ कडिका: 2.7; पृष्ठ -40)

नई सेवार्य/सेवाओं के नये साधन पर बजट प्रावधान के बिना व्यय

क्र.सं.	अनुदान विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
(लाख रुपये में)				
1	10 6801-800-0101	शुन्य	9465.00	9465.00
2	13 2049-01-115-0001	शुन्य	47.36	47.36
3	14 6003-101-0033	शुन्य	7589.09	7589.09
4	14 6003-101-0034	शुन्य	6286.59	6286.59
5	14 6003-106-0003	शुन्य	21153.22	21153.22
6	14 6003-110-0000	शुन्य	27975.00	27975.00
7	14 6004-07-107-0001	शुन्य	629.05	629.05
8	50 4702-799-0001	शुन्य	157.33	157.33
	कुल		73302.64	73302.64

परिशिष्ट: 3.1

(संदर्भ कंडिका: 3.1.11.1; पृष्ठ -54)

मस्टर रॉल/माप पुस्तिका/जॉब कार्ड में पायी गयी अनियमितताओं से संबंधित विवरणी

क्रमांक.	कार्य/पंचायत/प्रखंड/जिला का नाम	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्तियाँ
1	गाँव मँझगाँव/मँझगाँव/चैनपुर, पलामू में तालाब का निर्माण	0.11	श्रमिकों को तिथि रहित मस्टर रॉल से भुगतान दिखाया गया था (144 मानव दिवस); क.अ./पर्यवेक्षक/कोई अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी का हस्ताक्षर मस्टर रॉल पर नहीं था।
2	मँझगाँव में सिंचाई कूप का निर्माण	0.10	-वही-
3	कोशियारा ग्राम/कोशियारा/ चैनपुर पलामू में तालाब का निर्माण	0.26	श्रमिकों को तिथि रहित मस्टर रॉल से भुगतान दिखाया गया था (360 मानव दिवस); क.अ./पर्यवेक्षक/कोई अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी का हास्ताक्षर मस्टर रॉल पर नहीं था।
4	देवाई/ केरेडारी हजारीबाग में तालाब का पुनरोद्धार	0.60	मस्टर रॉल (1.34 लाख रुपये) माप पुस्तिका में दर्ज किये गये कार्य (0.74 लाख रुपये) से अधिक
5	कोशियारा ग्राम/कोशियारा/ चैनपुर पलामू में तालाब का निर्माण	0.15	मस्टर रॉल 29 मई 2006 तक था जिसे क.अ. द्वारा 15 जून 2006 तक मापा गया था फिर बिना मजदूरों को लगाये क.अ. द्वारा एम.बी. में 25 जून 2006 को 0.15 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रविष्टि की गई।
6	कुसमतनार और सुरूगा/ बालियापुर, धनबाद में चार हार्वैस्टिंग टैंक का निर्माण	0.73	कोई कार्यदेश, एम.आर.एम.वी. और व्यय की विवरणी लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।
7	मुस्कुन्डा/गुमला सदर, गुमला में तालाब का निर्माण	0.41	आठ मस्टर रॉल के द्वारा 80 मजदूरों को भुगतान किया गया था (सं. 266170 से 266177) योजना सं. कार्य की तिथि, भुगतान की तिथि, एम.आर. निर्गत हेतु बी.डी.ओ. का हस्ताक्षर, क.आ. का हस्ताक्षर, आदि एम.आर. पर नहीं पाये गये। इस प्रकार एम.आर. जाली थे।
8	आम्बोआ/गुमला सदर, गुमला में बाँध की मरम्मत	0.26	आठ मस्टर रॉल के द्वारा 60 मजदूरों को भुगतान किया गया था (सं.118730 से 118735) योजना सं. कार्य की तिथि, भुगतान की तिथि, एम.आर. निर्गत हेतु बी.डा.ओ. का हस्ताक्षर, क.आ. का हस्ताक्षर, आदि एम.आर. पर नहीं पाये गये। इस प्रकार एम.आर. जाली थे। तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि चार सादा एम.आर. 118742 से 118745 तक को मजदूरों से हस्ताक्षर करा कर भविष्य के लिए रखा गया था।
9	चिमिसाई/टाटानगर, प. सिंहभूम में पी.सी.सी. पथ का निर्माण	0.32	नरेगा के एम.आर. जून और जुलाई 2005 में इस्तेमाल किया गया था जो कि नरेगा शुरू होने से बहुत पहले था।
10	कौड़िया ग्राम/कौड़िया/मेदनीनगर, पलामू में तालाब निर्माण	0.36	501 गलत मानव दिवस एम.आर. में दिखाये गये थे (216 मानव दिवस के विरुद्ध एम.आर.बी. के अनुसार) प्राक्कलित मानव दिवस कार्य में मात्र 469 था।
11	मँझगाँव, नरसिंहपुर, बन्सडीह, बैरो, कोशियारा, चैनपुर, पलामू में सिंचाई कूप निर्माण की सात योजनायें	2.30	एम.आर. सं. 131507 सं 10, 131527 से 31,1310 33 से 037 तक के दिनांक, राशि कार्य तिथि में बहुत कॉट छॉट उपरी लेखन एवं 27.2.07 से 31.2.2007 और 26 जनवरी भी शामिल थे इसलिए जाली प्रतीत होते थे। किसी भी एम.आर. में पास होने की तिथि, भुगतान की गयी राशि या भुगतान होने की तिथि नहीं थी।

12	कैरिया ग्राम/कौरिया/मेदिनीनगर, पलामू में सिंचाई कूप का निर्माण	0.21	चार एम.आर. में छपे हुई संख्या (122511,122588,103705 और 103706) को काटकर हस्तलिखित सं. डाली गयी थी जिसमें भी काँट छॉट था पुनः हस्तलिखित सं. 34005001-0034 को 19.01.2007 से 24.01.2007 तक इस्तेमाल किया गया था जबकि 34005001- 0033 को 20.02.2007 से 25.02.2007 तक जिसमें भुगतान 17.02.2007 को किया गया था। दिनांक में कई काँट-छॉट थे। यहाँ तक कि 73 रुपये की दर से एवं 100 रुपये की दर से एक ही मजदूर को भुगतान किया गया था।
13	बराटोला/उत्तरी बड़ाटोला/ मेदिनीनगर, पलामू में ग्रेड । पथ का निर्माण	0.11	दो एम.आर. 122682 एवं 683 को इस्तेमाल करके संख्या को हाथ से बदल दिया गया था। इन संख्याओं को भी तीन बार काँट-छॉट के बाद बदला गया था और भुगतान की तिथि एवं दिनांक दर्ज नहीं की गयी थी।
14	एन.ए./मुरकुन्डा और आबैआ/गुमला	0.05	10 जॉब कार्ड धारी को एम.आर. में जून 2006 से मार्च 2007 के बीच दिखाया गया था परंतु जॉब कार्डधारी ने त्याग की थी और कोई जॉव प्रदान ही किया गया।
15	झींकपानी/असुरा/प. सिंहभूम में पी.सी.सी. पथ का निर्माण	0.78	एम.बी. में कार्य मूल्य 1.50 लाख रुपये था लेकिन एम.आर. में 2.28 लाख रुपये था जिससे एम.आर. जाली प्रतीत होता था।
16	पुलिया झींकपानी/चोया/प. सिंहभूम में नहर निर्माण	0.07	11.11.2006 को कार्य पूर्ण दिखाया गया था लेकिन लोहा का छड़ 10.01.2007 को 0.07 लाख रुपये में क्रय किया गया था।
17	झींकपानी/आसुरा/प. सिंहभूम में पी.सी.सी. पथ निर्माण	1.08	15.12.2006 में एम.बी. के अनुसार मजदूर को 1.50 लाख रुपये भुगतान किये गये थे जबकि एम.आर. के अनुसार 18.08.2006 को 2.58 का भुगतान था।
18	सदर प्रखंड/कुर्सी/प. सिंहभूम में तालाब निर्माण	0.19	एम.बी. के अनुसार 0.50 लाख रुपये का कार्य कराया गया था जबकि एम.आर. 0.68 लाख रुपये का था।
19	-वही-	0.27	एम.बी. के अनुसार 0.17लाख रुपये का कार्य कराया गया था जबकि एम.आर. 0.44 लाख रुपये का था।
	कुल	8.01	

परिशिष्ट: 3.2
(संदर्भ कंडिका: 3.2.6.1; पृष्ठ -59)
बस्तियों की स्थिति

अभिकरण जिसके द्वारा सर्वे कराया गया	अप्रैल में बस्तियों की स्थिति	बस्तियों की कुल सं.	एफ.सी. बस्तियाँ	पी.सी. बस्तियाँ	एन.सी. बस्तियाँ	वर्ष के अन्दर आच्छादित पी.सी. बस्तियाँ			वर्ष के अन्दर आच्छादित एन.सी. बस्तियाँ		
						लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
राज्य सरकार	1.4.2003	120412	114067	4542	1803	-	-	-	-	-	-
आई.आई. पी.ए.	1.4.2003	120150	99238	5555	15357	-	-	-	-	-	-
	1.4.2004	120150	98238	5555	15357	-	985	-	-	1988	-
	1.4.2005	120150	102211	4570	13369	1220	838	69	2970	1598	54
	1.4.2006	120150	104647	3732	11771	1717	-	-	3500	-	-
कुल						2937	1823	62	6470	3586	55

(स्रोत-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची)

परिशिष्ट: 3.3
(संदर्भ कंडिका: 3.2.7.1; पृष्ठ -60)
योजनाओं का लक्ष्य एवं उपलब्धि

कार्यक्रम का नाम	वर्ष	योजनाओं का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि		प्रतिशत
				सफल	उपलब्धि	
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2002-03	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नल कूपों का निर्माण	28477	24779	1681	87
	2003-04	वही	3658	2489	-	68
	2004-05	वही	9090	2905	388	32
	2005-06	1. वही	24068	12212	1615	51
		2. वर्षा जलोच्छाजन	1394	998	-	72
		3. जल की गुणवत्ता मापना	25751	0	-	शून्य
4. जल की गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों/ बस्तियों में पाइप जलापूर्ति योजना		4	0	-	शून्य	
5. फ्लोराइड/ आर्सेनिक निवारण हेतु आवश्यक उपकरण संयोगक		148	105	-	71	
कोई नया लक्ष्य नहीं (2005-06 का शेष कार्य)	2006-07	1. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नल कूपों का निर्माण	9968	6160	982	62
		2. वर्षा जलोच्छाजन	396	396	-	100
		3. जल की गुणवत्ता मापना	25751	21777	-	85
		4. जल की गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों/ बस्तियों में पाइप जलापूर्ति योजना	4	0	-	शून्य
		5. फ्लोराइड/ आर्सेनिक निवारण हेतु आवश्यक उपकरण संयोजन	43	43	-	100
एम.एन.पी.	2002-03	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप निर्माण	15075	9736	1147	65
	2003-04	वही	11056	8664	856	78
	2004-05	वही	13180	8891	956	67
	2005-06	वही	5116	3796	434	74
	2006-07	वही	4711	604	94	13

परिशिष्ट: 3.4
(संदर्भ कंडिका: 3.2.9; पृष्ठ -63)
अक्रियाशील नलकूपों का मरम्मती एवं सम्पपोषण (एम.आर.)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के अन्तर्गत कुल मरम्मति			नया छिद्रण	कुल नलकूप(4+8)	कुल चालू (2+7+8)	वर्ष के अन्दर बन्द हुए नलकूप	वर्षान्त चालू (10-11)
	चालू	बन्द	कुल	विशेष मरम्मति	संरचनात्मक परिवर्तन	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002-03	180750	48482	229232	8897	19981	28878	18277	247509	227905	16089	211816
2003-04	211816	35693	247509	4120	1931	6051	7339	254848	225206	13139	212067
2004-05	212067	42781	254848	204	16055	16259	11947	266795	240273	14652	225621
2005-06	225621	41174	266795	7139	0	7139	8522	275317	241282	10232	231050
2006-07	231050	44267	275317	4481	7395	11876	2270	277587	245196	14329	230867
कुल				24841	45362	70203	48355			68441	

परिशिष्ट: 3.5

(संदर्भ कंडिका: 3.2.10.1; पृष्ठ -64)

विद्यालयों में नलकूपों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि		योजना	आबंटन	व्यय
			सफल	असफल			
2002-03	विद्यालयों में नलकूप निर्माण	ए.आर.डब्ल्यू	229	41	ए.आर.डब्ल्यू	56.26	50.42
		एस.पी.297 एम.एन.पी 677	569	89	एस.पी. एम.एन.पी.	177.71	137.87
	एस.सी./एस.टी. विद्यालयों में नलकूप निर्माण	112	84	-		30.13	22.24
2003-04			शून्य	शून्य			
2004-05	विद्यालयों में नलकूप निर्माण	ए.आर.डब्ल्यू	731	132		704.34	264.91
		एस.पी.-2000 पी.एम.ए.- 2184	400	71		287.55	232.76
2005-06	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नलकूप निर्माण	1203	920	213	केन्द्र केन्द्र राज्य	439.43 568.96 558.96	399.29 343.61 271.80
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नयी योजना के तहत नलकूप निर्माण	3240	1386	147			
2006-07	वही	-	62	9		40.13	34.73
			1411	224		235.35	222.58
			5792	926		2659.39	1980.24

परिशिष्ट: 3.6

(संदर्भ कंडिका: 3.2.10.5 पृष्ठ -66)

अनुबंधित मात्रा से अधिक के क्रियान्वित मात्रा संबंधी विवरणी

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	अनुबंधों की सं.	मदों की सं.	अधिक मात्रा (प्रतिशत में)	भुगतान की गयी राशि(रूपये में)
1	जमशेदपुर	एस./आर.फेज iii(02-03)	2	3	14.95 से 30	84809.00
2		एस./आर.फेज iii(02-03)	4	8	12.66 से 39.77	125371.40
3		एफ/एल हैन्ड पम्प (04-05)	2	8	30 से 77.83	466765.0
4		अनाच्छादित विद्यालय(03-04)	1	1	40.96	106227.00
5		एस.सी.एस.टी.टोला(04-05)	2	3	22.45 से 93.13	285232.00
6		सुखाड़ क्षेत्र में एस./आर.(05-06)	7	10	16 से 98.38	477552.00
7		एन.सी./पी.सी.(05-06)	3	7	14 से 46	397480.00
8	खूँटी	एस./आर.(05-06 एवं 06-07)	5	10	18 से 102	501239.00
9		एफ/एल हैन्ड पम्प(05-06)	1	2	18 से 52	52861.00
10		एस.सी.एस.टी. टोला(04-05)	1	4	35.20 से 66	328199.00
11	गढ़वा	एस.सी.एस.टी.टोला(04-05)	4	6	29.54 से 55.36	276295.00
12		एफ/एल.हैन्ड पम्प(04-05)	1	6	16.50 से 41.66	8954.00
13		सुखाड़ एस./आर.(05-06)	6	10	20 से 162	134360.00
14		एन.सी./पी.सी. टोला(05-06)	2	4	17 से 34	227631.00
15		एस./आर.(02-03)	1	2	29.48	102599.00
			42			3575574.40

परिशिष्ट: 3.7

(संदर्भ कंडिका: 3.2.11.2 पृष्ठ -67)

सामग्री के रूप में अवरोहन (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

प्रमंडल का नाम	स्थल लेखा का नाम	अव्यवहृत अवधि	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये में)	राशि
तेनुघाट	डी.टी./डब्ल्यू.आर.जी.एम.एस. के अन्दर	10/01	65 एम.एम.जी.आई.पाइप	100 नग	515/-	51500.00
	एन.सी./पी.सी.	03/06	आई.एम. 2 एच.पी.	6 सेट	4806/-	28836.00
गोड्डा	डी./टी.का एस./आर.	03/02	तारा पम्प	79 सेट	6650/-	525350.00
	-वही-	03/05	65 एम.एम.जी.आई.पाइप	273 मीटर	158.22/-	43194.00
	एन.सी./पी.सी.	04/06	32 एम.एम.जी.आई.पाइप	3465 मीटर	105.54/-	365696.00
	एस./एम.	04/05	50 एम.एम.जी.आई.पाइप	3309 मीटर	225.26/-	745385.00
राँची पश्चिम	एफ/एल.पी.एम.ए.	10/04	आई.एम. 3 एच.पी.	4 प्रति	5700.00/-	22800.00
	-वही-	-वही-	50 एम.एम.जी.आई.पाइप	11 मीटर	225.26/-	2478.00
	डी.टी./डब्ल्यू.एफ/एल.	03/06	आई.एम.2 एफ/एल.एच.पी.	31 मीटर	5079.00/-	157449.00
	-वही-	04/06	32 एम.एम.जी.आई.पाइप	142 नग	316.62/-	44960.00
गढ़वा	प्रतापपुर ग्रामीण जला पूर्ति योजना	3/06 से 5/06	150 एम.एम.डी.आई.पाइप	1839.50 मीटर	1040.44/-	1913889.00
	-वही-	-वही-	100 एम.एम.डी.आई.पाइप	5631 मीटर	691.80/-	3895526.00
					कुल	7797063

सामग्री के रूप में अवरोहन (एम.एन.पी.)

प्रमंडल का नाम	स्थल लेखा कानाम	अव्यवहृत अवधि	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये में)	राशि (रूपये में)
तेनुघाट	तलवाल जलापूर्ति योजना	04/02	100 एम.एम. सी.आई.पाइप	800 मीटर	368.07	294456.00
	जैना मोड़ जलापूर्ति योजना	04/02	-वही-	769 मीटर	368.07	283046.00
	नवाडीह जलापूर्ति योजना	-वही-	-वही-	51.50 मीटर	368.07	18956.00
	पेटरवार जलापूर्ति योजना	-वही-	125 एम.एम. सी.आई.पाइप	579 मीटर	427.27	247389.00
गोड्डा	महागामा जलापूर्ति योजना	02/03	100 एम.एम. ए.सी. प्रेसर पाइप	1784.66 मीटर	46.00	82094.00
	महागामा जलापूर्ति योजना	03/06	350 एम.एम. सी.आई.पाइप	192.5 मीटर	3198.76	615761.00
	महागामा जलापूर्ति योजना	03/06	250 एम.एम. सी.आई.पाइप	92.5 मीटर	1968.05	182045.00
	महागामा जलापूर्ति योजना	05/06	250 एम.एम. सी.आई.पाइप	313.5 मीटर	1968.05	616984.00
	महागामा	07/06	100 एम.एम. सी.आई.पाइप	4506 मीटर	665.20	2997391.00
	प्रति पंचायत तीन डी.टी	03/02	तारा पम्प	32 सेट	6650.00	212800.00
	दशवें वित्त आयोग डी.टी.	01/03	65 एम.एम. जी.आई.पाइप	1116 मीटर	158.22	176574.00
	गढ़वा	गरबंघ जलापूर्ति योजना	क्रय की गयी सामग्री			
					कुल	15091410.00
	कुल ए.आर.पी. + एम.एन.पी.		7797063 + 15100410			2,28,88,473

परिशिष्ट: 3.8
(संदर्भ कंडिका: 3.6.3.4 पृष्ठ -102)

31 मार्च 2007 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न कैडर में कर्मचारियों की स्थिति

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी
1	व. पर्यावरण अभियंता	03	01	02
2	पर्यावरण अभियंता	07	06	01
3	स. पर्यावरण अभियंता	15	03	12
4	क. पर्यावरण अभियंता	19	09	10
5	वैज्ञानिक ई.।	01	-	01
6	वैज्ञानिक सी.	02	01	01
7	वैज्ञानिक बी.	04	-	04
8	सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी	14	04	10
9	सहायक वैज्ञानिक	15	11	04
10	अनुसंधान सहायक	03	02	01
11	प्रयोगशाला सहायक	13	03	10
12	नमूना संग्रहक	25	14	11
13	क्षेत्रीय सहायक सह तकनीकी कर्मचारी	21	13	08
14	अतिरिक्त सचिव	01	-	01
15	अनुभाग अधिकारी	03	02	01
16	सहायक	19	07	12
17	स्टेनोग्राफर	03	-	03
18	व. निजी सहायक	01	-	01
19	निजी सहायक	03	01	02
20	टंकक	11	08	03
21	लेखाकार	02	-	02
22	लेखा लिपिक	09	04	05
23	वैधिक लिपिक	01	-	01
24	दिनचर्या लिपिक	07	03	04
25	स्वागत कर्ता	01	-	01
26	ड्राफ्ट मैन	03	-	03
27	अनुरेखक	04	01	03
28	नील मुद्रक	01	01	-
29	दफ्तरी	01	01	-
30	प्रयोगशाला परिचारी	04	01	03
31	टेलेक्स मशीन संचालक	01	-	01
32	चालक	09	08	01
33	चपरासी/रात्रि प्रहरी	42	31	11
	कुल	268	135	133

परिशिष्ट: 3.9
(संदर्भ कंडिका:3.6.5 पृष्ठ -104)
जलकर नहीं लगाये जाने संबंधी विवरणी

क्रमांक	उद्योग का नाम	जल का मासिक खपत (किलोलीटर में)		महीना/वर्ष जबतक जलकर का भुगतान किया गया	बकाया जलकर (महीना)	राशि (रूपये में)		कुल
		औद्योगिक	घरेलू			औद्योगिक (पाँच पै./के.एल.)	घरेलू (दो पै. प्रति किलोलीटर)	
1	एस.एन. बोरिंग लिमिटेड, रातु	331	26	दिसम्बर 2005	15	248.25	7.80	265.05
2	एच.ई.सी. राँची	3114303	276041	मार्च 2005	24	3737163.60	132499.68	3869663.28
3	मेकॉन इन्डिया लिमिटेड	0	98990	सिर्फ मार्च 2007 में	66 (सितम्बर 2001)	0	130666.80	130666.80
4	महालक्ष्मी फइबर इन्डिया लिमिटेड राँची	2850	4151	जनवरी 2006	14	1995	1162.28	3157.28
5	एम./स. भारत बेस्ट फालिया	84	62	ऑक्टूबर 2005	17	71.40	21.08	92.48
6	भवनाथपुर लाईम स्टोन माइन्स गढ़वा	140	15725	मार्च 2006	12	84	3774	3858
7	राजहारा कोलियारी	5790	6770	दिसम्बर 1998	99	28660.50	13404.60	42065.10
8	बन्सल औद्योगिक गैसेस बिहार लिमिटेड खिजरी राँची	125	0.50	मार्च 2006	12	75	0	75
कुल						3768297.75	281536.24	4049833.99

परिशिष्ट- 4.1

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ -133)

गलत दर के अनुप्रयोग के कारण पेंशन का अधिक भुगतान

क्रम सं.	भुगतान करने वाली शाखा	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमति	पी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	राशि (रूपये में)
1	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	भानु प्र. अग्रवाल	एच.जेड.बी.एफ.एम. डब्ल्यू. 1611	2/04 से 12/06	7,006
2	-वही-	देवबाला देवी	137734	7.1.01 से 12/06	56,675
3	-वही-	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	256376	10/94 से 12/06	68,112
4	-वही-	गनौरी राम	227054	8/94 से 12/06	31,251
5	-वही-	कैलाश बिहारी	206571	9/90 से 12/06	51,303
6	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग	आशा देवी	237070	4/97 से 1/07	55,466
7	-वही-	कैलाश प्र.वर्मा	212942	- वही-	3,358
8	-वही-	उमेश चंद्रा	201473	- वही-	-वही-
9	-वही-	मो. एकरामुद्दीन खान	227214	- वही-	34,678
10	-वही-	बद्री नाथ तिवारी	120897	- वही-	50,642
11	(बी.ओ.आई.), गुमला	सुदर्शन सुरीन	322738	5/02 से 12/06	6,552
12	बी.ओ.आई., क्लब साईड	सोम चन्द्र लकड़ा	एस./74604	6/05 से 10/06	39,782
13	बी.ओ.आई., चर्च रोड़	सनातन होरो	208148	4/2के से 10/06	488
14	बी.ओ.आई. ओरमॉझी	रत्नावली देवी	305469	4/04 से 11/06	26,661
15	(एस.बी.आई.), इन्द्रपुरी	राम अवतार लाल राणा	357330	2/01 से 9/06	2,113
16	एस.बी.आई., रिम्स	शत्रुघ्न प्रसाद	248015	3/03 से 9/06	2,320
17	एस.बी.आई. सेक्टर-2	मीना अम्बष्ठ	61457	4/04 से 5/04	2,540
18	एस.बी.आई, एच.एच. कॉलोनी	कांति देवी	आर.एन.सी. आर.ओ.डी. 193	9/05 से 9/06	52,111
19	एस.बी.आई, नामकुम	मंगरा उराँव	आर.एन.सी. एफ.एमडब्ल्यू. 06981	6/04 से 9/06	30,048
20	बी.ओ.आइ., रातु रोड़	आर.सी.एन. तिवारी	187970	6/01 से 8/06	2,250
21	एस.बी.आई, डोरंडा	दिलबहादुर सरकी	78204	2/02 से 8/06	2,448
22	एस.बी.आई., तोरपा	एन. गुडिया	आर.एन.सी. ई.डी.एन. 10449	8/03 से 9/06	1,204
23	-वही-	निर्दोष तिर्की	आर.एन.सी. डब्ल्यू. एस. बी. 060	10/05 से 9/06	4,437
24	एस.बी.आई., दीपाटोली	बुधवा उराँव	340291	09/04 से 03/07	3,789
25	बी.ओ.आइ.,	बंधन उराँव		12/05 से 8/07	8766

	घाघरा		जी.एम.एल.ई.डी.एन 4447		
26	एस.बी.आई., सिसई	सरिता देवी	जी.एम.एल.ई.डी.एन 1685	10.10.04 से 8/07	674
27	-वही-	फुलमनी देवी	एस/90687	10.7.06 से 8/07	7,447
28	एस.बी.आई., साकची	माया मुखर्जी	211271	4/97 से 7/07	18,981
29	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	उर्मिला देवी	300165	2/06 से 7/07	37,982
30	-वही-	रूलपाल राम	एच.जेड.बी.एफ.एम. डब्ल्यू.1416	8/04 से 7/07	33,337
31	पी.एन.बी, हजारीबाग	दयानंद प्र. गुप्ता	014025	4/04 से 6/07	45,988
कुल					7,28,909

परिशिष्ट: 4.2

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ -133)

गलत दर के अनुप्रयोग के कारण पेंशन का कम भुगतान

क्रम सं.	भुगतान करने वाली शाखा	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमति	पी.पी.ओ. संख्या	कम भुगतान की अवधि	राशि (रूपये में)
1	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	उमा शशि	152529	6.4.06 से 11/06	21,519
2	-वही-	सुनील कुमार गोस्वामी	306380	11/98 से 12/06	31,969
3	-वही-	सुशीला प्रसाद	9562	4/97 से 12/06	26,454
4	-वही-	गायत्री देवी सिन्हा	019322	12/02 से 12/06	3,018
5	संन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग	के.एन. सिंह	361978	1/04 से 1/07	87,889
6	एस.बी.आई., ए.जी.ओ. कम्पलेक्स, राँची	गंगोत्री देवी	227379	26.1.06 से 9/06	11,075
7	-वही-	गीता देवी	एस/68501	18.6.97 से 9/06	15,314
8	बी.ओ.आई., खुँटी	मरियम हंस	012091	29.11.03 से 10/06	8,663
9	बी.ओ.आई., मेन रोड, राँची	एलिस कुजूर	011252	3/02 से 10/06	528
10	एस.बी.आई., इन्द्रपुरी राँची	उषा रानी देवी	263770	16.2.2के से 17.12.03	613
11	-वही-	उषा देवी	-	9/2000 से 9/06	13,710
12	-वही-	सुषमा सिन्हा	319459	10.11.03 से 3/04	4,556
13	-वही-	कामता प्र. सिन्हा	-	6/03 से 9/04	11,413
14	एस.बी.आई., सी.एम.पी.डी.आई., राँची	राम कुँवर राम	306253	4/03 से 9/06	3,654
15	एस.बी.आई., नामकुम राँची	उर्सिला देवी	आर.एन.सी.पी. .एच. डी. 206इएसट	7/04 से 9/06	27,998
16	-वही-	जोहानी लकड़ा	332399इमीट	6/02 से 9/06	51,877
17	एस.बी.आई., मुरहू, राँची	सुकरा मुन्डा	5043	7/06 से 5/06	2,170
18	एस.बी.आई., डोरंडा, राँची	राधा रमण सिंह	015001	1/04 से 8/06	6,088
19	-वही-	शान्ति देवी	एस/85979	9.3.06 से 8/06	1,172
20	एस.बी.आई., तोरपा, राँची	सिल्विया गुडिया	एस /85845	9.8.05 से 9/06	4,954
21	बी.ओ.आई., घाघरा, राँची	चरवा पाहन	जी.एम.एल. एफ एम. डब्ल्यू 1290	11/05 से 8/07	23,042
22	-वही-	बुचना महली	जी.एम.एल.ई. ए. आर 480	5/05 से 8/07	15,280
23	एस.बी.आई., सिसई, गुमला	मकबूल खान	143316	2/04 से 8/07	3,200
24	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	सुशीला देवी	399301	1/07 से 7/07	22,652
25	-वही-	सुकरो मुन्डा	एच.जेड.बी. एफ.डी.आर. 439	26.2.06 से 7/07	24,947

26	बी.ओ.आई., हजारीबाग	कलावती देवी	315554	17.1.06 से 6/07	5,840
27	-वही-	मोस्ट नेपुर	20202	3.2.2000 से 6/07	19,851
28	-वही-	महावीर कुमार	एच.जेड.बी. बी.पी. एच..डी 328	1.7.07 से 6/07	13,740
कुल					4,63,186

परिशिष्ट: 4.3

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ -133)

पेंशन के सारांशिकृत भाग की कटौती नहीं होने/कम कटौती के कारण पेंशन का अधिक भुगतान

क्रम. सं.	भुगतान करने वाली शाखा	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	राशि (रूपये में)
1	एस.बी.आई., डोरंडा	बुद्धि बहादुर तमांग	276599	11/00 से 8/06	18,970
2	-वही-	गया प्रसाद	आर ए एन पी ओ वाई 773	11/04 से 8/06	26,444
3	एस.बी.आई., खुँटी	महावीर सिंह	322270	5/01 से 8/06	45,120
4	एस.बी.आई., मुरी	गंगाधर महतो	011553	11/04 से 8/06	17,836
5	एस.बी.आई., तुपुदाना	श्रीमती एस. बारला	011392	11/02 से 2/06	46,600
6	-वही-	राम बहादुर सिंह	327413	9/01 से 2/06	72,677
7	एस.बी.आई., मुख्य शाखा, राँची	राम स्वरूप राम	170396	8/05 से 2/06	4,459
8	-वही-	डा. ए. के. नारायण		11/05 से 2/06	3,700
9	-वही-	श्याम सुन्दर प्रसाद	178953	7/03 से 2/06	11,200
10	-वही-	शिव कुमार पाण्डेय	168030	1/04 से 2/06	8,138
11	-वही-	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	259775	11/04 से 2/06	19,536
12	-वही-	गोपाल कृष्ण	289416	7/01 से 2/06	46,648
13	-वही-	ए.एस. चरण	009213(पी)	2/04 से 1/06	73,104
14	-वही-	गोरख नाथ सिंह	361308	12/03 से 1/06	45,708
15	-वही-	सहदेव सिंह	282192	9/01 से 1/06	67,363
16	-वही-	के.डी. सिंह	281548	6/01 से 1/06	29,456
17	-वही-	एस.सी. पटेल	353363	2/03 से 1/06	53,280
18	एस.बी.आई., हटिया	एन.एस. मुखोपाध्याय	017372	9/05 से 12/05	3,778
19	बी.ओ.आई., रातु	डी.आर. मिश्रा	180607	11/02 से 8/06	18,170
20	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	परमानन्द पाण्डेय	1120139	1/04 से 11/06	34,475
21	-वही-	सरोज प्रसाद	342745	8/04 से 11/06	50,204
22	-वही-	कामाख्या नारायण सिंह	253110	12/98 से 11/06	36,576
23	-वही-	राम देव सिंह	348050	6/02 से 11/06	64,152
24	-वही-	खिरोधर राम	327968	-डुट्ट-	75,060
25	-वही-	श्यामदेव शर्मा	323976	1/02 से 11/06	24,131
26	-वही-	सुनील कु. गोस्वामी	306380	10/01 से 12/06	81,900
27	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग	यु. एन. चौधरी	43817	1/02 से 1/07	67,222
28	-वही-	श्याम कुमार सहाय	173775	1/05 से 1/07	8,900
29	-वही-	के.एन. सिंह	361978	3/05 से 1/07	38,288
30	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग	राम लखन चौधरी	289456	6/01 से 1/07	65,600
31	यूको बैंक, गुमला	विमल प्रसाद	248385	7/99 से 12/99	3,910
32	-वही-	जगदीश कुमार सिन्हा	322157	11/01	1,014
33	बैंक ऑफ इंडिया, गुमला	जीवन मिज	333642	1/02 से 12/06	12,912
34	-वही-	राम दास भगत	018781	3/03 से 12/06	72,496
35	-वही-	श्री नाथ साहु	241337	1/97 से 5/98	6,400

36	-वही-	राम बाबू गुप्ता	300340	11/99 से 6/01	20,086
37	-वही-	नन्द किशोर सिंह	320056	6/00 से 9/00	6,219
38	-वही-	राम सिंह	292558	7/99 से 3/01	34,088
39	-वही-	परमेश्वर प्र. यादव	280784	1/00 से 8/00	7,570
40	-वही-	मिरन प्रसाद	292241	4/99 से 6/04	21,700
41	एस.बी.आई., ए.जी.ओ. कम्प्लेक्स	छट्टू राम	335811	6/02 से 9/06	39,572
42	-वही-	मदन प्रसाद	184546	8/92 से 9/06	50,320
43	-वही-	हबील टिग्गा	20338	10/04 से 9/06	6,693
44	-वही-	शांति श्रीवास्तव	आर.एन.सी. ई डी-17	5/03 से 9/06	1,025
45	बी.ओ.आई., पण्डरा	राम विष्णु राम	321743	6/02 से 7/02	1,700
46	-वही-	राम नरेश राय	302530	7/00 से 4/02	40,251
47	बी.ओ.आई., खुँटी	काशी नाथ साहु	010267	6/03 से 10/06	54,571
48	बी.ओ.आई., चर्च रोड	सनातन होरो	208148	3/02 से 10/06	18,200
49	बी.ओ.आई., ओरमाँझी	जमालुद्दीन अंसारी	253354	2/97 से 11/06	45,194
50	-वही-	वैद्यनाथ प्रसाद	1873110	7/03 से 11/06	13,640
51	एस.बी.आई., पण्डरा	निरोद बवन सरकार	225341	1/96 से 9/06	44,947
52	-वही-	एच.ए. अंसारी	आर.एन.सी. ई डी 4185	5/04 से 9/06	44,138
53	-वही-	बी.एन.पी. यादव	369145	11/00 से 9/06	1420
54	-वही-	आर.एस. राय	015090(पी)	8/04 से 9/06	50,129
55	-वही-	हरिद्वार सिंह	आर.एन.सी.आ ई आर.आर. 524	4/05 से 9/06	23,847
56	-वही-	एस. जे. हुसैन	आर.एन.सी. ई डी एन.6970	3/06 से 9/06	11,826
57	एस.बी.आई., विष्टपुर जमशेदपुर	बीर बिनोद सिन्हा	307415	7/01 से 11/04	17,180
58	-वही-	डा. विजय प्रताप सिंह	271911	10/99 से 5/01	32,800
59	-वही-	सुखदेव प्रसाद सिंह	293143	10/99 से 11/00	13,425
60	-वही-	राय महेन्द्र प्रसाद	248445	7/98 से 4/00	50,208
61	-वही-	मधुसूदन कविराज	259899	9/98 से 5/01	39,479
62	-वही-	ईश्वर चन्द्र सिंह	289394	11/99 से 1/01	27,803
63	-वही-	कमलेश्वर प्रसाद	017066	12/02 से 11/03	32,361
64	-वही-	डा. अजीत सिंह	369733	7/03 से 1/04	15,904
65	एस.बी.आई., इन्द्रपुरी, राँची	चर्तुगुण शुक्ला	217723	7/04 से 9/06	15,282
66	-वही-	चंद्रदीप नारायण सिन्हा	012157	4/02 से 9/06	65,647
67	-वही-	ब्रजनाथ पाण्डेय	170245	7/04 से 9/06	17,864
68	-वही-	प्रीतम मसीह टूटी	आर.एन.सी.ए. सी.एच 005	6/03 से 9/06	55,575
69	-वही-	अधौरी पाण्डेय	235442	9/96 से 9/06	70,310
70	-वही-	कामता प्रसाद सिन्हा	-	5/04 से 9/06	1,914
71	-वही-	नारायण प्र. चौरसिया	002447	12/02 से 9/06	95,060
72	एस.बी.आई., रिम्स	डी.एन. राम	009174(पी)	1/03 से 11/03	23,434
73	-वही-	गिरिजा प्रसाद	322239	5/05 से 9/06	28,747

74	-वही-	सुरेश्वर पाण्डेय	216987	4/03 से 9/06	59,608
75	-वही-	बेनी मिश्रा	297225	4/01 से 9/06	16,500
76	एस.बी.आई., सेक्टर-II	राधिका देवी	001740	9/03 से 9/06	51,768
77	-वही-	सुशीला श्रीवास्तव	001712	11/02 से 9/06	48,484
78	एस.बी.आई., सी.एम.पी.डी.आई.	देवेन्द्र प्र. सिंह	307123	7/01 से 9/06	43,500
79	-वही-	वंशीधर कालिन्दी	231856	3/97 से 9/06	52,555
80	-वही-	मो. सलाउद्दीन खान	आर.एन.सी. ई डी एन. 5442	10/04 से 9/06	37,008
81	एस.बी.आई., नामकुम	सीता प्रसाद सिंह	315771	9/2000 से 9/06	66,722
82	एस.बी.आई., अशोक नगर	कृष्ण मुरारी	226817	8/2000 से 9/06	61,568
83	एस.बी.आई., मुरहू	सुकरा मुण्डा	5043	1/05 से 6/06	22,658
84	एस.बी.आई., तोरपा	राजेन्द्र प्रसाद	001887	7/03 से 9/06	58,890
85	-वही-	रामानन्द नाग	272276	1/2000से 8/06	33,360
86	एस.बी.आई., गुमला	हरि पाहन	011371	7/02 से 11/06	87,581
87	-वही-	बंधन राम	008210	10/02 से 4/05	22,465
88	-वही-	योगेन्द्र प्रसाद	322490	1/03 से 2/04	15,317
89	-वही-	मो. कासिमुद्दीन	313711	7/01 से 10/01	4,728
90	-वही-	फूलचन्द्र ओहदार	206509	5/95 से 8/95	1,146
91	-वही-	राधेश्वर सिंह	282852	9/03 से 11/03	1,894
92	-वही-	राम किशुन साहु	277126	4/98 से 6/98	589
93	इलाहाबाद बैंक, मेन रोड राँची	मो. तालिब हुसैन	193619	5.4.93 से 6/93	1,187
94	एस.बी.आई., अपर बाजार राँची	किसुन साहु	आर.एन.सी. ई डी एन. 3312	4/04 से 3/07	54,792
95	बी.ओ.आई., घाघरा, गुमला	श्रीमति बिरसी कुमारी	जी.एम.एल.एफ एम.डब्ल्यू 1017	12/04 से 8/07	33,990
96	-वही-	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	315783	1/01 से 8/07	1,11,200
97	यूको बैंक, सिसई, गुमला	बाल गोविन्द कुमार यादव	जी.एम.एल.एफ .एम.डब्ल्यू 006	9/05 से 8/07	38,400
98	-वही-	हुसई उराँव	296251	3/02 से 8/07	13,200
99	एस.बी.आई., सिसई, गुम ला	मतियस बारा	जी.एम.एल. ई डी एन.4706	3/06 से 8/07	44,820
100	-वही-	मतियस केरकेट्टा	जी.एम.एल. ई डी एन. 4548	3/06 से 8/07	42,552
101	-वही-	जॉन एक्का	जी.एम.एल. ई डी एन. 2190	6/04 से 8/07	30,108
102	एस.बी.आई., साकची	लक्ष्मी कान्त झा	2010571	1/97 से 7/07	71,501
103	-वही-	बिनोद चन्द्र मोहन्ती	267154	8/99 से 7/07	34,752
104	-वही-	के.के. सिंह	369376	2/03 से 07/03	13,128
105	-वही-	स्व. काशी नरेश दुबे	000217	2/02 से 1/03	6,396
106	बैंक ऑफ बड़ौदा, जमशेदपुर	बसरुद्दीन हैदर	195339	6/2000 से 8/07	59,856

107	यूको बैंक, जमशेदपुर	के. एन. पाण्डेय	169167	2/03 से 6/07	29,460
108	-वही-	राजमणि सिन्हा	292236	6/2000 से 7/07	1,25,474
109	इलाहाबाद बैंक, हजारीबाग	भरत प्रसाद	263911	4/02 से 7/07	61,760
110	बी.ओ.आई., हजारीबाग	कमला प्रसाद यादव	258878	7/05 से 6/07	14,304
111	-वही-	राम प्यारी देवी	272517	5/98 से 6/07	47,520
	कुल				39,16,297

परिशिष्ट: 4.4

(संदर्भ कंडिका: 4.6.1 पृष्ठ -140)

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभाग की संख्या
2000-01	13	9
2001-02	11	8
2002-03	22	14
2003-04	22	15
2004-05	22	13
2005-06	27	15
कुल	117	29

परिशिष्ट: 4.5

(संदर्भ कंडिका: 4.6.4 पृष्ठ -142)

30.06.2007 तक कार्य, नदी घाटी परियोजना एवं ओ.ए.डी. (एन.सी.) संभाग के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ

वर्ष	कार्य			नदी घाटी परियोजना			ओ.ए.डी.		
	नि प्र	कंडिकाएँ		नि. प्र.	कंडिकाएँ		नि. प्र.	कंडिकाएँ	
		भाग-क	भाग-ख		भाग-क	भाग-ख		भाग-क	भाग-ख
1984-85	3	1	3	-	-	-	-	-	-
1986-87	2	3	1	4	1	5	-	-	-
1987-88	1	0	1	24	25	38	-	-	-
1988-89	7	2	10	20	25	31	-	-	-
1989-90	6	2	8	29	41	9	-	-	-
1990-91	13	5	11	22	34	22	-	-	-
1991-92	10	1	9	41	91	62	-	-	-
1992-93	5	1	5	24	27	8	-	-	-
1993-94	21	12	15	37	70	5	-	-	-
1994-95	19	12	14	22	15	37	-	-	-
1995-96	28	10	38	28	26	74	-	-	-
1996-97	35	43	29	26	45	81	-	-	-
1997-98	15	35	21	31	29	81	1	4	2
1998-99	24	9	25	19	29	70	0	0	0
1999-00	30	23	29	12	18	51	1	4	1
2000-01	83	76	426	18	31	63	288	291	1709
2001-02	114	82	568	53	37	211	368	260	1982
2002-03	155	188	730	33	23	71	375	246	1808
2003-04	136	175	701	41	51	236	550	417	2514
2004-05	125	212	682	33	37	156	401	406	1949
2005-06	137	211	715	47	46	329	423	447	2344
2006-07	174	253	1022	44	54	218		268	641
2007-08	14	22	72	1	0	8	-	-	-
कुल	1157	1378	5135	609	755	1866	2553	2343	12950

परिशिष्ट: 5.1
(संदर्भ कंडिका: 5.1.8 पृष्ठ -156)
स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल दर्शानेवाली विवरणी

क्रम. सं.	स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कर्मचारियों की कमी (-)	
				संख्या	प्रतिशत
1	मेदिनिनगर	197	93	104	52.80
2	जुगसलाई	143	69	74	51.75
3	चाईबासा	137	72	65	47.45
4	राँची	1330	827	503	37.82
5	हजारीबाग	292	258	34	11.65
6	आदित्यपुर (एन.ए.सी.)	48	28	20	41.67
7	धनबाद (नगर निगम)	432	203	229	53.00
8	गोड्डा	39	27	12	30.77
9	चतरा	90	39	51	56.67
10	राँची (आर.आर.डी.ए.)	138	71	67	48.55

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ कंडिका 6.1.3 तथा 6.1.5; पृष्ठ -160 तथा 161)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2007 तक प्रदत्त पूंजी, बजटीय निर्गमन, बजट के बाहर से दिया गया ऋण तथा बकाये ऋण को अद्यतन विवरण दर्शाने वाली विवरणी (कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं०	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2006-07 के अंत तक बकाया ऋण*			2006-07 के ऋण एवं इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4 (च)/ 3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रि कम्पनिट ाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ं)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
क	सरकारी कंपनियाँ												
	कृषि												
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	525.00	-	525.00	1.05:1 (1.05:1)
	निर्माण												
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
	पर्यटन												
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	75.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-
	वन एवं पर्यावरण												
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-
	खनन												

* 2006-07 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण दर्शाते हैं।

क्रम सं०	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2006-07 के अंत तक बकाया ऋण*			2006-07 के ऋण एवं इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4 (च) / 3 (ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रिता कम्पनिट ाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक												
6	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अंश आवेदन राशि	100.00 (200.00)	-	-	-	100.00 200.00	-	-	-	-	-	-	-
	समाज सेवार्थे												
7.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अंश आवेदन राशि	(50.00)				50.00	50.00						
	कुल (क) अंश आवेदन राशि	1080.00 (250.00)	-	-	-	1080.00 (250.00)	250.00	-	-	525.00	-	525.00	-
ख	सांविधिक निगम												
	ऊर्जा												
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद्	-	-	-	-	-	-	5200	-	246686.00 [†]	6554.00	253240.00	-
	कुल(ख)	-	-	-	-	-	-	5200	-	246686.00	6554.00	253240.00	-

[†] इसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त 135625.00 लाख रुपये का ऋण सन्निहित है।

क्रम सं०	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2006-07 के अंत तक बकाया ऋण*			2006-07 के ऋण एवं इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4 (च) / 3 (ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रिता कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
	सकल योग (क+ख) अंश आवेदन राशि	1080.00 (250.00)	-	-	-	1080.00 (250.00)	250.00	5200.00	-	247211.00	6554.00	253765.00	-

स्रोत- आँकड़े सरकारी कंपनियों, निगमों और स्वायत्त निकाय द्वारा दिए गए हैं।
टिप्पणी:- आँकड़े अनन्तिम हैं जैसे कि कंपनियों और निगमों द्वारा दिए गए हैं।

परिशिष्ट-6.2

(संदर्भ कंडिका 6.1.6 तथा 6.1.7; पृष्ठ -162)

अद्यतन वर्ष जिसके लिए लेखे तैयार किए गए थे, के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम
(कॉलम 7 से 12 एवं 15 के आँकड़े लाख रुपये में हैं)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवल लाभ (+)/हानि(-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	भुगतान की गयी पूंजी	संचयी लाभ(+)/ हानि(-)	निवेशित पूंजी (क)	निवेशित पूंजी पर कुल वापसी	निवेशित पूंजी पर कुल वापसी की प्रतिशतता	वर्ष के रूप में बकाये लेखे	आवृत्त	मानक शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क	सरकारी कंपनियाँ														
	कृषि														
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्ग्रह सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.3.2002	2004-05	2007-08	(-) 48.00	हानि 370.00 लाख रुपये	500	22.00	1,006.00	(-) 48.01	-	2	70.34	281

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवल लाभ (+)/हानि(-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	भुगतान की गयी पूँजी	संचयी लाभ(+)/हानि(-)	निवेशित पूँजी (क)	निवेशित पूँजी पर कुल वापसी	निवेशित पूँजी पर कुल वापसी की प्रतिशतता	वर्ष के रूप में बकाये लेखे	आवृत्त	मानक शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							से कम वार्षित								
	निर्माण														
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	गृह	13.3.2002	2005-06	2006-07	96.72	लाभ 63.00 करोड रूपये से अति वार्षित	200	494.76	694..77	494.76	71.21	1	309.40	75
	पर्यटन														
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	22.3.2002	2002-03	2006-07	19.92	-	75	-	9.29	-	-	4	17.27	77
	वन एवं पर्यावरण														
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	2004-05	2006-07	(-) 9.63	हानि 79.72 लाख रूपये से कम वार्षित	5	138.29	142.72	138.29	96.90	2	2,679.69	464
	खनन														
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खान एवं भूतत्व	7.5.2002	2002-03	2007-08	-	खर्च 0.88 लाख रूपये से कम वार्षित	200	-	208.77	-	-	4	-	568

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवल लाभ (+)/हानि(-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	भुगतान की गयी पूँजी	संचयी लाभ(+)/हानि(-)	निवेशित पूँजी (क)	निवेशित पूँजी पर कुल वापसी	निवेशित पूँजी पर कुल वापसी की प्रतिशतता	वर्ष के रूप में बकाये लेखे	आवृत्त	मानक शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	औद्योगिक														
6	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अंश आवेदन राशि	उद्योग	15.12.2004	-	-	-	-	300	-	-	-	-	2	-	8
	समाज सेवार्थे														
7	ग्रेटर राँची डेभलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	शहरी विकास	23.1.2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
ख	सांविधिक निगम														
	उर्जा														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद्	उर्जा	20.3.2001	2001-02	2005-06	(-) 4,944.78	-	-	(-) 4,944.78	4,38,081.45	23,599.10	5.39	5	-	6953
ग	स्वायत्त निकाय														
	उर्जा														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग	-	24.4.2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	41

स्रोत- संबंधित सरकारी कंपनियों के वार्षिक लेखों की संचिकाएँ

टिप्पणी:- 1. प्रयुक्त पूँजी निवल स्थिर परिसम्पत्तियों को दर्शाता है जारी पूँजीगत कार्य सहित जोड कार्यरत पूँजी (यथा चालू परिसम्पत्तियाँ, उपादान के लिए प्रावधान को छोड़कर चालू परिसम्पत्तियाँ सहित ऋण एवं अग्रिम)

2. लगाई गई पूँजी पर कुल वापसी लाभ एवं हानि लेखे (पूँजीकृत ब्याज को घटाकर) में भारित ब्याज जोड शुद्ध आधिक्य/घाटा को दर्शाती है

परिशिष्ट-6.3

(संदर्भ कंडिका 6.1.5; पृष्ठ -161)

पूँजी, ऋण, अनुदान एवं सहायता अनुदान में वर्षवार बजटीय व्यय दर्शानेवाली विवरणी

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	नाम	2005-06		2006-07	
		इक्विटी	ऋण (एल) अनुदान (जी)	इक्विटी	ऋण (एल)/अन्य अनुदान (जी)/सहायता अनुदान
क.	सरकारी कंपनियाँ				
1	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिंचाई निगम लिमिटेड	-	-	-	-
2	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	-	-	-	-
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	25.00 (अंश आवेदन राशि)	-	-	-
4	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	200.00*	-	-	-
6	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	100.00*	-	200.00 (अंश आवेदन राशि)	-
7	ग्रेटर रॉची डेभलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	-	-	50.00 (अंश आवेदन राशि)	-
	उप योग	325.00	-	250.00	-
ख.	सांविधिक निगम				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद्	-	32126.00 (एल)	-	5200.00 (एल)
ग.	स्वायत्त निकाय				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग	-	110.00 (जी)	-	120.00 (जी)
	कुल	325.00	32236.00	250.00	5320.00

स्रोत- आँकड़े सरकारी कंपनियों, निगमों और स्वायत्त निकाय द्वारा दिए गए हैं।

टिप्पणी:- आँकड़े अनन्तित्तम है जैसे कि कंपनियों, निगम एवं स्वायत्त निकाय द्वारा दिए गए हैं।

* 2005-06 से संबंधित आँकड़ों को अभी शामिल किया गया है

परिशिष्ट-6.4
(संदर्भ कंडिका 6.1.9; पृष्ठ -162)


निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	भाग-II क की कंडिकाओं की संख्या
1	1991-92	2	2
2	1992-93	12	19
3	1993-94	12	17
4	1994-95	27	30
5	1995-96	18	18
6	1996-97	30	31
7	1997-98	37	62
8	1998-99	31	32
9	1999-00	14	17
10	2000-01	30	36
11	2001-02	41	48
12	2002-03	32	35
13	2003-04	30	82
14	2004-05	31	104
15	2005-06	38	93
16	2006-07	32	56
कुल		417	682

स्रोत- लंबित कंडिकाओं की पंजी

परिशिष्ट-6.5
(संदर्भ कंडिका 6.2.1; पृष्ठ -164)

संगठनात्मक रचना



स्रोत- झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद

परिशिष्ट-6.6
(सदर्भ कंडिका 6.2.17; पृष्ठ -171)

मीटर के नहीं लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि

क्रम संख्या	विद्युत संबंध संख्या एवं उपभोक्ता का नाम	विद्युत का औसत उपभोग एवं माँग प्रति महीना						राजस्व की हानि (लाख रुपये में)
		नए मीटर के आधार पर विपत्र		विपत्रीकरण किया गया		कम विपत्रीकरण		
		इकाई	के. भी. ए	इकाई	के भी ए	इंकाई	के भी ए	
1.	एन आर 490 ई एस आई अस्पताल	48,075	112	19,710	75	28,365	38	49.84
2.	एन आर 491 ई सी एल, कुमारधुबी खदान	53,153	118	20,748	100	32,405	18	80.72
3.	एन आर 492 ई सी एल, खुदिया खदान	1,47,336	500	1,04,052	500	43,284	रू	105.88
4.	एन आर 505 ई सी एल लेईकाडीह खदान	1,16,596	252	26,052	167	90,544	85	228.36
कुल								464.80

स्रोत- अंचल द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराये गये

परिशिष्ट 6.7
(सदर्भ कंडिका 6.2.23; पृष्ठ -175)

अत्यधिक ट्रांसफॉर्मर क्षमता के कारण वसूलनीय क्षतिपूर्ति राशि

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	संविदा माँग (एम भी ए. में)	ट्रांसफरमर क्षमता (एम भी ए में)	ट्रांसफरमर क्षमता को दो तिहाई (एम भी ए में)
1.	एस ई रेलवे चक्रधरपुर मानीकुई पाईट	13.5	25	17
2.	एस ई रेलवे चक्रधरपुर, गोईलकेरा पाईट	11.0	25	17
3.	एस ई रेलवे चक्रधरपुर केन्दपासी पाईट	9.1	20	13
4.	एस ई रेलवे चक्रधरपुर राजखरसावाँ पाईट	8.0	13.5	9
कुल		41.6	83.5	56

ट्रांसफरमर क्षमता का दो तिहाई	=	56 एम.भी.ए.
विपत्रीकरण योग्य क्षतिपूर्ति राशि	=	56 एम.भी.ए., X1,40,000 रुपये प्रति एम.भी.ए. X 2 X 6 महीने
	=	9.41 करोड़ रुपये
घटाना: विपत्र किया गया वास्तविक मांग	=	4.94 करोड़ रुपये
वसूलनीय क्षतिपूर्ति राशि	=	4.47 करोड़ रुपये

स्रोत- अंचल द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराये गये

परिशिष्ट 6.8
(संदर्भ कंडिका: 6.2.25; पृष्ठ -176)

विपत्र भुगतान में अत्यधिक समय देने के कारण ब्याज की हानि

			(लाख रुपये में)	
क्रम संख्या	अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम	विपत्र की कुल राशि	ब्याज की हानि
1	संचरण अंचल, जमशेदपुर	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	3,483.00	11.16
2	-वही-	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1,958.00	6.28
3	-वही-	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	940.00	3.01
4	-वही-	आर टी एस धालभूगढ	2,570.00	4.83
5	-वही-	आर टी एस मानीकुई	3,257.00	8.50
6	-वही-	आर टी एस सालगाझारी	2,277.00	6.06
7	-वही-	आर टी एस राजखरसावा	1,662.00	4.32
8	-वही-	आर टी एस गोइकेरा	2,369.00	6.15
9	-वही-	आर टी एस केन्दुपोसी	2,057.00	5.33
10	-वही-	आर टी एस राजखरसावा	1,262.00	3.30
11	संचरण अंचल राँची	आर टी एस टोलरा	3,428.00	5.08
12	-वही-	आर टी एस लोधमा	294.00	0.18
13	-वही-	आर टी एस बाक्सपुर	678.00	0.47
14	-वही-	आर टी एस टाटीसिल्वे	860.00	0.64
15	-वही-	हेवी इंजिनियरिंग कोरपोरेशन लि.	2,920.00	9.21
कुल			30,015.00	74.52

स्रोत- अंचलो की उपभोक्ता पंजी

परिशिष्ट 6.9
(संदर्भ कंडिका 6.2.32; पृष्ठ -180)

अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि में कालबाधित बकाये

क्रम संख्या	विद्युत आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	धनबाद	10,574	24.31
2.	हजारीबाग	8,506	13.26
3.	जमशेदपुर	8,485	18.97
4.	राँची	19,176	39.45
कुल		46,741	95.99

स्रोत- अंचलो की उपभोक्ता पंजी

परिशिष्ट 6.10
(संदर्भ कंडिक 6.3.1; पृष्ठ 186)

संरक्षित मूल्य की गलत गणना के कारण राजस्व की हानि

क्रम संख्या	लॉट का नाम	संरक्षित मूल्य		वास्तविक	राजस्व की हानि कॉलम (3)- कॉलम (4) (लाख रुपये में)
		औसत विक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाना	कम्पनी द्वारा वास्तव में निर्धारित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डाल्टनगंज प्रमण्डल					
1	मनातु डी	16.06	10.71	10.00	6.06
2	मनातु ई	10.56	7.04	7.57	2.99
3	लतेहार सी	2.61	0.87	0.75	1.86
गढवा प्रमण्डल					
1	गढवा (पी) ए	4.37	1.46	2.01	2.36
2	चैनपुर बी	15.32	5.11	5.78	9.54
3	भनडरीया डी	11.31	7.54	6.26	5.05
4	नागर डी	10.22	6.82	5.16	5.06
हजारीबाग प्रमण्डल					
1	टन्डवा बी	2.07	0.69	1.00	1.07
2	प्रतापपुर सी	6.69	4.46	4.16	2.53
3	राजपुर ए	6.17	2.06	2.17	4.00
गिरिडीह प्रमण्डल					
1	गावाँ (पी) बी	6.95	4.64	3.51	3.44
					43.96

स्रोत: परिषद् की निविदा संचिकायें

परिशिष्ट 6.11
(सदर्भ कंडिका: 6.3.3; पृष्ठ -189)

अत्यधिक मूल्य विचरण की अनुमति-ए ए वीसल कन्डक्टर

क्रम संख्या	क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	आदेश की गई मात्रा (के. एम में)	प्राप्त की गई मात्रा (के. एम में)	अनुमति दिये गये मूल्य विचरण (लाख रुपये में)	अत्यधिक मूल्य विचरण की अनुमति (लाख रुपये में)
1.	52/27.12.04	वेंकटेश्वर वॉयरश	2,250	2,250	14.77	7.36
2.	53/27.12.04	भरत इलेक्ट्रिकल	1,000	995	7.03	3.22
3.	54/27.12.04	गुप्ता केबल्स	2,000	1,993	14.08	6.46
4.	55/27.12.04	श्री श्यामजी	600	598	3.83	1.88
5.	56/27.12.04	रहित कन्डक्टर	600	599	3.90	1.89
6.	57/27.12.04	अग्रावाल केबल्स	1,050	1,048	7.22	3.49
7.	58/27.12.04	तिरुपति कन्डक्टर	2,000	1976	13.94	6.40
8.	62/27.12.04	ही टेक पोवर कोन	500	500	3.59	1.60
9.	65/18.01.05	सिंही केबल्स	1,000	1,000	7.27	3.34
10.	04/06.05.05	वेंकटेश्वर वॉयरश	1,000	1,000	8.93	3.27
11.	12/22.06.05	ही टेक पोवर कोन	650	650	3.08	2.08
12.	13/22.06.05	लुमीनो इनड्रस्टीयश	2,500	2,500	19.42	8.34
13.	17/24.06.05	अग्रावाल केबल्स	400	400	1.98	1.33
14.	18/24.06.05	रहित कन्डक्टर	250	250	1.17	0.79
15.	20/02.07.05	शशि केबल्स	200	199	0.98	0.66
16.	21/08.07.05	वेंकटेश्वर वॉयरश	1,000	1,000	4.85	3.27
कुल			17,000	16,958	116.04	55.38

स्रोत- परिषद् की क्रय आदेश संचिकायें

परिशिष्ट 6.12

(संदर्भ कंडिका 6.3.3 पृष्ठ -189)

अत्यधिक मूल्य विचरण की अनुमति-ए सी एस आर कन्डक्टर

क्रम संख्या	क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	आदेश की गई मात्रा (के.एम. में)	प्राप्त की गई मात्रा (के.एम. में)	अनुमति दिया गया मूल्य विचरण (लाख रुपये में)	अत्यधिक मूल्य विचरण की अनुमति (लाख रुपये में)
1	10/03.11.04	शिवा प्रिन्टस	252	251	4.54	2.11
2	67/20.01.05	-वही-	70	70	1.82	0.62
3	01/01.04.05	-वही-	100	100	3.23	0.89
4	38/05.10.05	-वही-	200	200	8.20	1.68
कुल			622	621	17.79	5.30

स्रोत- परिषद् की क्रय आदेश संचिकायें